भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है।

डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है। संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य हेतु संघ की पहल पर प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना हुई। संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशन एसोसिएशन्स', एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक एसोसिएशन फॉर बेसिक एण्ड एडल्ट एजूकेशन', 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' तथा 'इण्टरनेशनल रीडिंग ऐसोसिएशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः directoriaea@gmail.com
website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

जून– 2013
वर्ष 57 अंक 5

सम्पादक मण्डल

प्रो. भवानीशंकर गर्ग (अध्यक्ष)
ए.एच.खान
डा.एल.राजा
डा. मदन सिंह
इन्दिरा पुरोहित
दुर्लभ चेतिया
मृणाल पंत
के.आर.सुशीले गौडा

सम्पादक
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

इस अंक में

सम्पादकीय 2

संवाद विधि की प्रभाविता का कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता के आधार पर अध्ययन 3
– अर्चना दुबे
– दीप नरायन सिंह

मध्यप्रदेश के धार जिले के संदर्भ में ऑपरेशन क्वालिटी योजना का छात्राध्यापकों, शिक्षक मित्रों एवं केन्द्र समन्वयकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मूल्याकंन 11
– एच.आर. पाल
– हितेश शर्मा

सफलता द्वारा विनम्रता आनी चाहिए 15
– आस्मा

भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिक्षण में संस्थाओं का योगदान 18
– उषा कटियार

सेक्स एजुकेशन में शिक्षकों व अभिभावकों की भूमिका 22
– विनोद कुमार

उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में जनतांत्रिक क्रियाकलापों का तुलनात्मक अध्ययन 25
– निधि तँवर

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

मुखरित होता लोकहित

14–15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू के प्रख्यात अभिभाषण 'नियति से साक्षात्कार 'Tryst with Destiny' के साथ आजादी ने भारत का अभिषेक किया। हम आजाद हुए। 9 दिसम्बर 1946 को जिस संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी अब वही संविधान सभा सर्वसत्ता सम्पन्न थी। स्वतंत्र भारत में संविधान सभा की पहली बैठक 15 अगस्त 1947 को प्रातः 10 बजे आयोजित हुई जिसे स्वाधीन भारत के प्रथम गवर्नर–जनरल और संविधान सभा के अध्यक्ष प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संबोधित किया। डा. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा हिन्दी में स्व लिखित यह भाषण आज भी उपलब्ध है। डा. राजेन्द्र प्रसाद भारतीय संविधान रचना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं – "विधान बनाने का काम जो बाकी है इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए ताकि हम अपने बनाये विधान के मातहत रहने लग जायें और काम शुरू कर दें। इस विधान को बनाने में हम सभी की सहायता आवश्यक है। ऐसा सुन्दर इसे बनाना है जिसमें जनमत प्रधान रहे और जनता की उन्नति उदेश्य रहे और सब को इस बात का विश्वास रहे कि वे अपना धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार सब को सुरक्षित रख सकते हैं और उनकी तरक्की के रास्ते में किसी किस्म की बाधा नहीं हो सकती। इसे बनाने में विभिन्न देशों के अनुभव, तजुरबा, और विधान (कायदे) से हम लाभ उठायेंगे। अपनी संस्कृति और परिस्थिति से जो कुछ मिल सकता है उसे लेंगे और जहां जरूरत होगी आज की प्रचलित सीमाओं को, चाहे वह शासन पद्वति की हो अथवा सूबों की, लांघकर नयी सीमायें बनायेंगे। हमारा उदेश्य है कि हम ऐसा विधान बनाये जिसमें जनमत की प्रधानता रहे और जिसमें व्यक्ति को केवल स्वंतत्रता (आजादी) ही न मिले पर वह स्वतंत्रता (आजादी) लोकहित का साधन (जरिया) बन जाये।"

लोकहित की ऐसी प्रखर अभिलाषा रखने वाले उन सभी महापुरूषों की आत्माओं को, जिन्होंने भारतीय राष्ट्र और इसके संविधान को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समय के इस दौर के कुछ क्षणों में अवश्य ही सुकून मिलता। ऐसा एक क्षण जुलाई 11, 2013 को भी आया जब सर्वोच्च न्यायलय में न्यायधीश ए.के. पटनायक और न्यायधीश एस. जे. मुखोपाध्याय की बेंच ने 2004 में पटना उच्च न्यायलय के उस निर्णय को वैध घोषित किया जिसमें कहा गया है कि 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 62 (5) के अनुसार जिस व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है वह निर्वाचक नहीं रह जाता। क्योंकि वह निर्वाचक नहीं रहता इसी कारण से वह संसद और राज्य विधानसभा में चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है।'

विदित है कि सर्वोच्च न्यायलय ने अपने इस निर्णय में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुच्छेद 8 (4) के तहत सांसदों, विधायकों एवं विधानसभा पार्षदों को प्राप्त वह विशेषाधिकार, जिसके तहत दोषी करार दिए जाने के दिन से तीन महीने के दौरान उच्चतर न्यायलय में अपील दायर कर वह अपने पदों पर बने रह सकते थे, को भी खारिज कर दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के जन चौकीदार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया केस में आए इस निर्णय से आपाराधिक पृष्ठभूमि वालों के विधायिका में प्रवेश को रोकने में निश्चित मदद मिलेगी। पर इस निर्णय के दुरूपयोग की सम्भावनाओं को भी नकारा नहीं जा सकता। सरकार के पास पुनर्याचिका दायर करने की गुंजाइश है। फिलहाल यह तो समय ही बताएगा कि संसद स्वयं को बेदाग रखने के उपाय स्वयं तलाशेगी या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की केस में 24 अप्रैल 1973 को प्रदत्त निर्णय जिस प्रकार अब तब आम आदमी के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है उसी प्रकार जन चौकीदार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया केस में आया यह निर्णय अब भारतीय जनतंत्र के सर्वोच्च संस्थान संसद की आपराधिक तत्वों से सुरक्षा करेगा।

–बी.संजय

संवाद विधि की प्रभाविता का कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता के आधार पर अध्ययन

– अर्चना दुबे
– दीप नरायन सिंह

बालक जब एक नवजात असहाय शिशु के रूप में जन्म लेता है तब से लेकर जब तक वह मृत्यु–शैय्या पर चिरंतन यात्रा के लिए विराजमान नहीं हो जाता तब तक वह कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। जीवन के इन अनुभवों से सीखना ही शिक्षा है। इसलिए कहा गया है कि ''जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है।'' शिक्षा जीवनपर्यन्त चलने वाली एक अनवरत प्रक्रिया है।

शिक्षा हमारे जीवन के प्रत्येक पहलु से संबंधित है। हम बिना शिक्षा के समाज में अपने अस्तित्व को बनाये रखने में अक्षम होते हैं। शिक्षा केवल विद्यालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कहीं भी, किसी भी स्थान पर किसी से भी प्राप्त की जा सकती हैं। विद्यालयों को हम शिक्षा का घर मानते हैं। इन्हीं विद्यालयों से पढ़कर विद्यार्थी डॉक्टर और इंजिनियर बनते हैं। किन्तु वर्तमान समय में कक्षा अध्ययन–अध्यापन की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गयी है। शिक्षा आज छात्र केन्द्रित कम होकर पाठ्यवस्तु केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित अधिक हो गया है जिससे छात्रों में शिक्षण के प्रति अरूचि की भावना उत्पन्न होने लगती है। छात्रों को एक ही तरीके से पढ़ाना भी उसकी अरूचि को बढ़ाता है। कक्षा में शिक्षक अधिकतर व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं जिसमें शिक्षक तो सक्रिय रहते हैं किन्तु विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता की भांति रहते हैं। इस प्रकार की विधि से वे विषयवस्तु को सहजता से समझ नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप उनकी उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास ठीक से नहीं हो पाता है। अतः वर्तमान में हमें एक ऐसी शिक्षण विधि की आवश्यकता है जो छात्र केन्द्रित हो। ताकि छात्र रूचिपूर्वक अध्ययन कर सकें तथा उनमें संप्रेषण कौशलों एवं उच्च मानसिक योग्यताओं का विकास हो, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हो। प्रस्तुत शोध में एक ऐसी ही विधि ''संवाद विधि'' को क्रियान्वित कर छात्रों में अध्ययन के प्रति रूचि पैदा करने का लघु प्रयास किया गया है।

संवाद विधि एक ऐसी विधि है जो लोगों को करीब लाने व उनमें मतभेदों को दूर करने का काम करती है एवं उन्हें सामाजिक रूप से परिपक्व बनाती है। संवाद एक गतिशील प्रक्रिया है, जो कि सहानुभूति बढ़ाने वाली, संबंधों का निर्माण करने वाली, कौशलों का विकास करने वाली, पूर्व धारणा में परिवर्तन करने वाली तथा समझ विकसित करने वाली होती है।

संवाद का अर्थ

शब्दकोश में संवाद का अर्थ है संप्रेषण। संवाद शब्द अंग्रेजी के Dialogue का पर्यायवाची है। यह दो ग्रीक शब्दों "Dia' तथा "Logos' से मिलकर बना है। "Logos' से तात्पर्य है कि "the word' या

"Meaning of the Word' तथा "Dia' से तात्पर्य है "through' । अतः दो या दो से अधिक लोगों के मध्य विचारों का आदान प्रदान संवाद है। संवाद का तात्पर्य लड़ना नहीं, डरना नहीं बल्कि अपनी बात को कहना है, जिससे संवाद से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति में सच्चे ज्ञान की वृद्धि हो सके।

संवाद की परिभाषा

एटली के अनुसार–

''संवाद बेहतर समझ तथा बेहतर संबंध के लिए की गई सामूहिक तथा सम्मिलित खोज है।''

ब्राउन के अनुसार–

''जब भी मैं संवाद के व्यापक अर्थ के बारे में सोचता हूँ तब मेरे सामने एक पुराने ढंग के बने अमेरिकी मकान की छवि उभर आती है जिसके बीच में फलों से भरा ऑगन है तथा उस ऑगन तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। मेरे लिए संवाद हमारे समान मानवीय अनुभव के घर के इस ऑगन में प्रवेश का द्वार है अर्थात संवाद समानुभूति बढ़ाता है।''

डायमंड के अनुसार–

''संवाद से तात्पर्य है कि हम बैठें तथा एक दूसरे से बातचीत करें। मुख्यतः उनसे जिनसे हमें लगता है कि हमारा सबसे अधिक मतभेद है। सामान्यतया एक दूसरे से बातचीत करने का मतलब वाद–विवाद, तर्क, परिचर्चा या अपने विचारों पर दूसरों को सहमत करने से समझा जाता है। किंतु संवाद का उद्देश्य बचाव करना नहीं बल्कि जानकारी प्राप्त करना है, तर्क करना नहीं बल्कि खोज करना है, राजी करना नहीं बल्कि अन्वेषण करना है।''

शिक्षाकोश के अनुसार–

''संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों में कथोपकथन या संभाषण है। इसका सबसे पहले प्रयोग यूनानियों ने वक्तव्य, खोज एवं शिष्य शिक्षण के लिए किया था। सुकरात ने संवाद में प्रश्नोत्तर द्वारा शिष्य को सत्य का उद्घाटन कराया था।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि संवाद एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें लोग मिलकर किसी विषय पर अपने विचार, अनुभव या मान्यताएँ आपस में बाँटते हैं। यहॉ ध्यान देने योग्य बात यह है कि लोग अपने विचार आपस में बाँटते हैं न कि वाद–विवाद करते हैं। संवाद मात्र परखना या निर्णय लेना ही नहीं हैं बल्कि गहराई से समझना, गहराई से सुनना तथा अधिगम करना है।

संवाद विधि का अर्थ

संवाद विधि प्रत्येक शिक्षण विधि की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। शिक्षक–छात्र क्रिया में छात्र की क्रियाशीलता जितनी अधिक बढ़ाई जाती है उतना ही अधिक उन्हें संवाद का अवसर प्राप्त होता है। संवाद वास्तव में मिलजुलकर विषय को कई दृष्टिकोण से समझने का एक प्रयास है। इस प्रयास में 'मैं' के स्थान पर 'हम' का भाव प्रमुख होता है। हम भाव का जितना अधिक विकास होता है उतना अधिक अपनत्व का भाव भी विकसित होता है। सहयोगियों में जितनी अधिक निकटता बढ़ेगी, उतनी ही अधिक सफलता मिलेगी। यहीं वास्तविकता है।

संवाद विधि में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। इस विधि में शिक्षक विभिन्न प्रकार की चर्चा करके, संवाद करके विद्यार्थियों को सहज बनाने में मदद करते हैं। सभी विद्यार्थी एक होकर विषय पर किसी एक के दृष्टिकोण से मेरा दृष्टिकोण श्रेष्ठ है यह सिद्ध नहीं करना चाहते हैं। सभी के विचार सम्माननीय है, सभी सोच की प्रक्रिया में समानरूप से सहभागी हैं। यह भाव महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष यह है कि इसमें सभी को सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है।

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं सामाजिक संवेगात्मक स्थिरता में वातावरण के साथ परिपक्व समायोजन कुछ दूरी तक ही मिलता है। जिस व्यक्ति में सामाजिक भावों के आदान–प्रदान की सामर्थ्य होती है जो किसी भी सामाजिक उत्तेजना के प्रति सही रूप में प्रतिक्रिया कर पाता है और उसमें स्वयं को समायोजित कर लेता है, उसमें सामाजिक परिपक्वता होती है। आज के प्रतिस्पर्धा के दौर में सामाजिक परिपक्वता होना जरूरी है। कुछ व्यक्ति उम्र बढ़ जाने पर भी सामाजिक दृष्टि से बालक ही बने रहते हैं।

बच्चा जन्म के पश्चात् अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से गुजरते हुए आगे की कक्षाओं में पहुँचता है और फिर भी सामाजिक परिपक्वता पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर पाता। संवाद विधि शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम है जो बालकों को परिपक्व बनाने में मदद करता है।

वर्तमान शिक्षण प्रणाली विद्यार्थियों को मात्र किताबी कीड़ा बना रही है। विद्यार्थियों में विचार करने की क्षमता एवं तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आवश्यक है कि शिक्षण में ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाये जो विद्यार्थियों में विचार करने का सामर्थ्य प्रदान करे। परम्परागत शिक्षण विधि द्वारा उत्पन्न छात्र की निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने की दिशा में संवाद विधि एक नया कदम है जो स्वतंत्र चिंतन शक्ति, तार्किक योग्यता का विकास, स्वाध्याय की आदतों का विकास व बेहतर अधिगम के अवसर प्रदान करती है। अतः शोधकर्ता ने उपयुक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए यह विषय शोध के लिए चुना है।

औचित्य

संबंधित साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि संवाद विधि से संबंधित अनेक शोध कार्य हुए हैं।

रेड और अन्य (1987) ने ''बच्चों के साथ संवाद परिवार व स्वयं के लिए संवाददाता के रूप में बच्चे'' विषय पर कार्य किया तथा निष्कर्ष में यह पाया कि बच्चों के प्रतिवेदन पारिवारिक जीवन से संबंधित जानकारी के उत्तम स्त्रोत हैं। प्रतिवेदनों में विकासात्मक लिंग संबंधी तथा धार्मिक अन्तर पाये गये। एक अभिभावक परिवार से दो अभिभावक परिवारों के बच्चों के लिए पारिवारिक लक्ष्यों की प्राथमिकताएँ भिन्न थी। डीटर (1988) ने ''सहायक उपयोगकर्ता के साथ मित्रवतता निष्पादन विषयक एक संवाद'' विषय पर काम किया तथा निष्कर्ष में यह पाया कि निष्पत्ति उद्देश्यों तथा कसौटी संदर्भित परीक्षणों की चर्चा की गई है तथा अनुदेशन अभिकल्प हेतु नई विधि सुझाई गई। हेयस (1990) ने शिक्षण में संवाद के प्रयोग पर कार्य किया और निष्कर्ष में यह पाया कि संवाद द्वारा पढ़ने की विधि विद्यार्थियों को ज्यादा कर्मठ व सीखने वाला बनाती है। मार्कण्ड (1994) ने क्रियात्मक संवाद स्थिति में शाब्दिक परिवर्तन विश्लेषण पर व्यक्तिशः अध्ययन किया और निष्कर्ष में यह पाया कि पेरमैनिसियर और गैर विशेषज्ञों के मध्य बातचीत असंरचित थी। स्कोन फिल्ड (1995) ने वर्तमान और प्रगतिशील शैक्षिक संगठन के सुधार के प्रंसग में संवाद विधि के सैद्धान्तिक तत्वों की छानबीन की और निष्कर्ष में पाया कि संवाद एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी आन्तरिक सूझबूझ से रचनात्मक विचारधारा

का विकास करता है। हिनेट (1997) ने विद्यार्थी अधिगम को बेहतर बनाने में संवाद एवं स्वमूल्यांकन की भूमिका का अध्ययन किया और निष्कर्ष में यह पाया कि संवाद विद्यार्थियों को स्वयं को समझने में मदद करता है जिससे उनका अधिगम बेहतर होता है। केम्पबेल डग्लास एवं स्मिथ (2003) ने 7 एवं 11 वर्ष के विद्यार्थियों के साथ गणित में हम उम्र बच्चों के साथ सहायक शिक्षण, गणितीय शब्दकोश, आव्यूहिक संवाद तथा आत्म संकल्पना पर प्रभाव का अध्ययन किया और निष्कर्ष में यह पाया कि सहायक शिक्षकों ने आत्म संकल्पना एवं आत्म सम्मान में वृद्धि महसूस की जबकि सहायक शिक्षण पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने आत्म सम्मान में वृद्धि पायी। नाना तथा जस्सी (2003) ने परिचर्चा, गृहविद्यालय सहयोग के रूप में कार्य किया और निष्कर्ष में यह पाया कि संवाद स्थापित करने से विद्यार्थियों की निष्पत्ति बेहतर होती है तथा गृह विद्यालय सहयोग में संवाद का प्रयोग किया तथा पाया कि प्रारंभिक कक्षाओं में संवाद का अभ्यास कक्षा में समुदाय के द्वारा संपूर्ण ज्ञानोपार्जन एवं ज्यादा प्रभावशाली विचारवृत्ति के निर्माण में सहायक होता है। ब्लाश (2004) ने व्यवस्थित विचार एवं संवाद विधि का कक्षा में प्रयोग किया तथा पाया कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण और सहायक तकनीकों एवं व्यवहार पीटर सेंगे और उनकी संकल्पना सिस्टम थिकिंग्स से प्राप्त हुए है। बायर (2006) ने विश्वविद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों के मध्य विश्वविद्यालय के लिए विद्यार्थी निस्तांरण के बारे में भ्रमपूर्ण विचार के संदर्भ में एक मंद गति का संवाद किया तथा यह पाया कि शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य भ्रमपूर्ण विचार को संवाद के माध्यम से सफलतापूर्वक हल किया गया। शाह (2007) ने वयस्क अधिगमकर्ताओं पर स्वप्रत्यक्षीकरण एवं अन्य अधिगमकर्ताओं के बदलते प्रभावीकरण एवं संकल्पना निर्माण के संदर्भ में अध्ययन किया तथा यह पाया कि संवाद विधि द्वारा पुरानी संकल्पनाओं को, नये दृष्टिकोण से उनके सभी पक्षों के संदर्भ में समझने में मदद मिलती है। तिवारी (2007) ने सामाजिक विज्ञान में तार्किक क्षमता और प्रतिक्रिया के संदर्भ में संवाद विधि के प्रति संवाद विधि की प्रभाविता का अध्ययन किया तथा यह पाया कि संवाद विधि विद्यार्थियों की तर्क योग्यता के विकास में सार्थक रूप से प्रभावी पायी गयी। संवाद विधि के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक पायी गयी। द्विवेदी (2008) ने इन्दौर शहर के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान में अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता, उपलब्धि तथा प्रतिक्रिया के आधार पर संवाद विधि एवं व्याख्यान विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा यह पाया कि संवाद विधि व्याख्यान विधि से बेहतर है तथा संवाद विधि के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक पायी गयी। भाटू (2008) ने कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की विज्ञान अभिवृत्ति एवं उपलब्धि के संदर्भ में संवाद विधि का अध्ययन किया तथा यह पाया कि संवाद विधि छात्रों में विज्ञान अभिवृत्ति के विकास में सार्थक रूप से प्रभावी है। जागाणी (2008) ने उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक समायोजन एवं सहयोग के संदर्भ में संवाद विधि की प्रभाविता का अध्ययन किया तथा यह पाया कि सामाजिक समायोजन एवं सहयोग के सन्दर्भ में संवाद विधि सार्थक साबित हुई।

उपयुक्त शोध कार्यो को देखने पर यह स्पष्ट होता है कि संवाद विधि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विषय है जिस पर अभी काम चल रहा है। भारत में यह विषय बिलकुल नया है। सामाजिक परिपक्वता से संबंधित विभिन्न शोध कार्य अवश्य हुए है किंतु संवाद विधि एवं सामाजिक परिपक्वता से संबंधित कार्य नहीं हुआ है। इसलिए शोधकर्ता ने यह विषय शोध के लिए चुना।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य था :

संवाद विधि से उपचारित विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता के पूर्व एवं पश्च परीक्षण के माध्य फलांकों की तुलना करना।

परिकल्पना

प्रस्तुत शोध की परिकल्पना थी :

संवाद विधि से उपचारित विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता के पूर्व एवं पश्च परीक्षण के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं हैं।

न्यादर्श

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधकर्ता द्वारा न्यादर्श का चयन विद्या चिल्ड्रन ऐकेडमी, पालदानाका, इन्दौर के हायर सेकेण्डरी विद्यालय से किया गया। न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया जिसमें कक्षा 9वीं के 32 विद्यार्थियों, जिसमें से 27 छात्राएँ तथा 5 छात्र थे, का चुनाव किया गया। न्यादर्श में छात्र एवं छात्राएँ दोनों सम्मिलित थी जिनकी आयु 13–15 वर्ष के मध्य थी। सभी विद्यार्थी मध्य प्रदेश बोर्ड के हिन्दी माध्यम के तथा मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के थे। ये सभी विद्यार्थी 2010–11 सत्र के नियमित विद्यार्थी थे।

उपकरण : सामाजिक परिपक्वता मापनी

सामाजिक परिपक्वता मापनी का विकास राव (1977) के द्वारा किया गया। इस मापनी में सामाजिक परिपक्वता के तीन आयामों का वर्णन किया गया है जो व्यक्तिगत पर्याप्तता है। इस मापनी का प्रयोग माध्यमिक विद्यालय के बच्चों की सामाजिक परिपक्वता के मापन के लिए किया गया जिनकी उम्र 13–16 वर्ष के बीच थी। इस सामाजिक परिपक्वता मापनी की विश्वसनीयता 0.79 है तथा इसकी वैधता बाह्य्य निकस के आधार पर निकाली गई है। इस मापनी में कुल 90 पद दिये गये थे जिसमें विद्यार्थियों ने पूर्णतः सहमत, सहमत, असहमत, पूर्णतः असहमत पर अपनी अनुक्रिया दी। इस मापनी के लिए 45 मिनिट से 60 मिनिट का समय निर्धारित था।

प्रदत्त संकलन विधि

शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम विद्यालय के प्राचार्य से संपर्क किया गया और उन्हें शोध की समस्या से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात प्राचार्य से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को 30 दिन तक संवाद विधि से सामाजिक विज्ञान में कुछ विषय पढ़ाने की अनुमति ली गई। प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात शोधकर्ता द्वारा विद्याथिर्यो को भी शोध के उद्देश्यों से अवगत करवाया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों को संवाद विधि से परिचित करवाया गया। उन्मुखीकरण के पश्चात छात्रों को परीक्षण संबंधी जानकारी दी गयी तथा विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का पूर्व परीक्षण किया गया। परीक्षण को निर्धारित समयावधि में किया गया।

पूर्व परीक्षण के पश्चात विद्यार्थियों को संवाद विधि द्वारा उपचार दिया गया। इस हेतु विद्यार्थियों को संवाद विधि द्वारा सामाजिक विज्ञान के विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन कराया गया। प्रत्येक समूह में 5–5 विद्यार्थियों को रखा गया जिस पर प्रत्येक समूह में संवाद हुआ तथा संवाद के माध्यम से विद्यार्थी से उत्तर प्राप्त करने

का प्रयास किया गया। विद्यार्थियों के प्रत्येक समूह को अपने उत्तर कागज पर लिखकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक स्वयं उस प्रकरण पर सभी के विचारों को सम्मिलित कर एक सारगर्भित उत्तर प्रस्तुत करता था। इस प्रकार करीब 30 दिनों तक उपचार दिया गया।

उपचार के पश्चात विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता का पश्च परीक्षण किया गया।

प्रदत्तों का विश्लेषण

संवाद विधि से पढ़ाये गये विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता के पूर्व एवं पश्च परीक्षण के माध्य फलांकों के अंतर की सार्थकता की जाँच के लिए सह–संबंधित टी–परीक्षण प्रयुक्त किया गया।

परिणाम एवं विवेचना

प्रदत्त विश्लेषण से प्राप्त परिणामों को सारणी में प्रदर्शित किया गया है।

सारणी : प्रयोगात्मक समूह के न्यादर्श का आकार एवं उनके पूर्व एवं पश्च सामाजिक परिपक्वता के माध्य, मानक विचलन, सहसंबंध एवं सहसंबंधित 'टी' का मान

परीक्षण Test	न्यादर्श आकार N	माध्य M	मानक विचलन (SD)	स्वतंत्रता का अंश (df)	सहसंबंध (T)	सहसंबंधित टी मान Correlated t-value	सार्थकता का मान P
पूर्व परीक्षण	32	212.71	19.82	30	.739	5.347''	.000
पश्च परीक्षण	32	226.06	19.21				

'' सार्थकता के 0.01 स्तर पर सार्थक

सारणी से विदित है कि सहसंबंधित ''टी'' का मान 5.347 है जो कि स्वतंत्रता का अंश 30 पर सार्थकता के स्तर 0.01 पर सार्थक है। इससे स्पष्ट है कि संवाद विधि से उपचारित विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता के पूर्व एवं पश्च परीक्षण के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर है। इसके परिप्रेक्ष्य में शून्य परिकल्पना ''संवाद विधि से उपचारित विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता के पूर्व एवं पश्च परीक्षण के माध्य फलांकों मे सार्थक अंतर नहीं होगा'' को निरस्त किया जाता है।

सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों के सामाजिक परिपक्वता के पश्च परीक्षण माध्य फलांक 226.06 है जो कि पूर्व परीक्षण के माध्य फलांक 212.71 से सार्थक रूप से उच्च है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संवाद विधि सामाजिक परिपक्वता के विकास में प्रभावी है।

अध्ययन का परिणाम

संवाद विधि विद्यार्थियों की सामाजिक परिपक्वता के विकास में सार्थक रूप से प्रभावी पायी गयी।

परिणाम की चर्चा

सामाजिक परिपक्वता के विकास के संदर्भ में संवाद विधि को सार्थक रूप से प्रभावी पाया गया। सामाजिक परिपक्वता के संदर्भ में संवाद विधि के साथ अन्य शोध कार्य नहीं हुए हैं। संवाद विधि से उपचारित विद्यार्थी कुछ हद तक सामाजिक मापदण्डों के अनुसार कार्य करने लगते हैं। संवाद आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। इससे स्वचिंतन का विकास होता है। साथ ही साथ सोचने समझने की क्षमता का विकास होता है तथा शिक्षक–छात्र, छात्र–छात्र अंतक्रिया के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं जिससे विद्यार्थी में आत्मगौरव की भावना का विकास होता है।

विद्यार्थी एक दूसरे के विचारों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वाद–विवाद नहीं करते हैं बल्कि सहनशीलता रखते हुए दूसरों के विचारों पर भी ध्यान देते हैं जिससे विद्यार्थियों में सामाजिक परिपक्वता का विकास होता है। संवाद विधि से पढ़ने पर कक्षा में अनुशासन बनाये रखना आसान होता है। तार्किक चिन्तन के द्वारा विचार और विषय वस्तु बच्चों को लम्बे समय तक याद रहते हैं। साथ ही संवाद विधि अपने पक्ष में विषय के प्रति सुदृढ़ समझ का विकास करती है तथा समस्याओं का निदान करने में मदद करती है। संवाद विधि की संरचना ''डरना नहीं, लड़ना नहीं'' अर्थात अपनी बात को बिना डरे कहने का नारा देते हुए, सीमित समय व संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए, अच्छे परिवेश में क्रियान्वित होती है। परिणामस्वरूप, बालक एक दूसरे की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा अपना पक्ष भी सामने रखते हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण वातावरण सामाजिक परिपक्वता के विकास में सहायक होता है।

सन्दर्भ

1. कृष्णमूर्ति, जे. : शिक्षा संवाद, कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन इंडिया, वाराणसी, 1998।
2. गैरेट, एच.ई. .: शिक्षा एवं मनोविज्ञान में सांख्यिकीय, कल्याणी पब्लिशर्स, दिल्ली, 1966।
3. जागाणी, जे. : उच्चतर माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक समायोजन एवं सहयोग के संदर्भ में संवाद विधि की प्रभाविता का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड, लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2008।
4. तिवारी, पी. : संवाद विधि की प्रभाविता का माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान विषय में तार्किक योग्यता के विकास एवं विधि के प्रति प्रतिक्रिया के संदर्भ में अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड, लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2007।
5. द्विवेदी, पी. : इन्दौर शहर के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान में अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता उपलब्धि तथा प्रतिक्रिया के आधार पर संवाद विधि एवं व्याख्यान विधि का तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित एम.फिल. लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2008।
6. नगेन्द्र : मानविकी पारिभाषिक कोश, राजकमल प्रकाशन प्रायवेट लि., दिल्ली, 1968।
7. पटेल, पी. : कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों के आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व के संदर्भ में संवाद–विधि की प्रभाविता का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड, लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2009।
8. भाटू, एस. : कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों की विज्ञान अभिवृत्ति एवं उपलब्धि के संदर्भ में संवाद विधि की प्रभाविता का अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड, लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2008।
9. मंगल, एस.के. : शिक्षा मनोविज्ञान स्टारलाईन पब्लिशर, नई दिल्ली, 2006।

10. राव, एन. : राव की सामाजिक परिपक्वता मापनी, नेशनल सायकोलाजीकल कॉरपोरेशन, आगरा, 1977।
11. रेड और अन्य (1987), डीटर (1988), हेयर (1990), मार्कण्ड (1994), स्कोन फिल्ड (1995), हिनेट (1987), केम्पबेल, डग्लास एवं स्मिथ (2003), नाना तथा जस्सी (2003), केनेफिक (2004), ब्लाश (2004) एवं बायर (2006) उद्धत, द्विवेदी पी. 'इन्दौर शहर के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का सामाजिक विज्ञान में अस्पष्टता को सहन करने की क्षमता उपलब्धि तथा प्रतिक्रिया के आधारपर संवाद विधि एवं व्याख्यान विधि का तुलनात्मक अध्ययन, अप्रकाशित एम.फिल. लघु शोध प्रबन्ध, देवी अहित्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2008।
12. शाह, वी. : वयस्क अधिगमकर्ताओं पर संवाद–विधि की प्रभाविता का स्व–प्रत्यक्षीकरण एवं अन्य अधिगमकर्ताओं के बदलते प्रभावीकरण एवं संकल्पना –निर्माण के संदर्भ में अध्ययन, अप्रकाशित एम.एड. लघु शोध प्रबंध, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, 2007।
13. Buch, M.B. (Ed.): Third Survey of Research in Education (1978-83), NCERT, New Delhi, 1987.
14. Buch, M.B. (Ed.): Fourth Survey of Research in Education (1983-88), NCERT, New Delhi, 1991.
15. Buch, M.B. (Ed.): Fifth Survey of Research in Education, Vol. II, NCERT, New Delhi, 2000.
16. Sansanwal, D.N. (Ed.) : Sixth Survey of Research in Education, (1993-2005), ON LINE, 2007.
17. Fortunoff, D.: Dialogue, Dialectic and Meiutic, Plato's Dialogue. As Educational modds.
18. http:www.bu.edu/wep/papers/anci/ancifort.htm
19. Freire, P.: Dialogue and Conversation.
20. http:www.bu.infed.org/biblio/dialogue.htm
21. Glaser, T.: Fostering Dialogue.

❍❍❍❍❍

मध्यप्रदेश के धार जिले के संदर्भ में ऑपरेशन क्वालिटी योजना का छात्राध्यापकों, शिक्षक मित्रों एवं केन्द्र समन्वयकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर मूल्याकंन

– एच.आर. पाल

– हितेश शर्मा

यह शोध पत्र अध्यापक शिक्षा क्षेत्र के अन्तर्गत सेवारत् अध्यापक शिक्षा से सम्बन्धित है। 'ऑपरेशन क्वालिटी' स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की अकादमिक इकाई राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा संचालित दो वर्षिय डिप्लोमा कार्यक्रम था। म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002 में राज्य शिक्षा केन्द्र को प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये विभिन्न उपाय करने का दायित्व सौंपा गया था। अतः राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता बढाने के लिए शिक्षकों के वृहद् प्रशिक्षण की योजना को 'ऑपरेशन क्वालिटी' का नाम दिया गया। यह एक पत्रोपाधि कार्यक्रम था, जिसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों को शिक्षा में क्वालिटी लाने हेतु प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम ऐसे सभी अध्यापकों के लिए था जो माध्यमिक एवं ई.जी.एस. शालाओं में पदांकित हैं। यह कार्यक्रम स्वंय पढने के सिद्धान्त पर आधारित था, इसके लिए छात्राध्यापकों को अध्ययन सामग्री दी गई एवं शैक्षणिक सहायकता देने के लिए एक अध्ययन केन्द्र आवंटित किया गया।

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा कई प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा चुके हैं। शिक्षक प्रशिक्षणार्थी यह प्रतिक्रिया देते पाये जाते हैं कि इन कार्यक्रमों में सैद्धान्तिक विषय के साथ – साथ शिक्षण सिद्धान्तों, तथा अनुदेशनात्मक प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। इस कार्यक्रम में शासकीय तंत्र का समय, ऊर्जा एवं धन का बढे पैमाने पर निवेश हुआ है। अतः इसका मूल्यांकन आवश्यक है। श्रीवास्तव (1966), भट्ट (1966), उपासनी (1966), बाजवा एवं फुटेला (1972), दास गुप्ता (1977), गुप्ता (1979), मामा (1980), नागराज (1982), एवं एस.सी.ई.आर.टी आन्ध्रप्रदेश द्वारा विभिन्न सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें कई तरह की खामियां सामने आई हैं।

उद्देश्य :– 1. छात्राध्यापकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर 'ऑपरेशन क्वालिटी' का मूल्यांकन करना। 2. शिक्षक मित्रों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर 'ऑपरेशन क्वालिटी' का मूल्यांकन करना। 3. केन्द्र समन्वयकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर 'ऑपरेशन क्वालिटी' का मूल्यांकन करना। 4. ग्रामीण एवं शहरी छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य फलांकों की तुलना करना। 5. महिला एवं पुरूष छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य फलांकों की तुलना करना।

परिकल्पना :– 1. ग्रामीण एवं शहरी छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य फलांकों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 2. महिला एवं पुरूष छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य फलांकों में कोई सार्थक अन्तर

नहीं है।

परीसीमन– 1. 'ऑपरेशन क्वालिटी' का मूल्यांकन शिक्षकों की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया। 2. 'ऑपरेशन क्वालिटी' के मूल्यांकन हेतु छात्राध्यापक, शिक्षक मित्र एवं केन्द्र समन्वयकों की प्रतिक्रिया ली गई। 3. मूल्यांकन शोधार्थी द्वारा विकसित प्रश्नावली एवं प्रतिक्रिया मापनी के आधार पर किया गया।

न्यादर्श– यह शोध धार जिले (म0प्र0) के 'ऑपरेशन क्वालिटी' से जुड़े कुल 5400 छात्राध्यापकों, शिक्षक मित्रों एवं केन्द्र समन्वयकों की जनसंख्या पर किया गया। इसमें से न्यादर्श के रूप में स्तरीकृत देव तकनीकी विधि द्वारा 50 छात्राध्यापक, 10 शिक्षक मित्र एवं 10 केन्द्र समन्वयकों को लिया गया। छात्राध्यापकों में से 28 महिला एवं 22 पुरूष छात्राध्यापकों को लिया गया। 32 छात्राध्यापकों की पृष्ठभूमि शहरी थी, जबकि 18 छात्राध्यापक ग्रामीण पृष्ठभूमि से लिये गये।

उपकरण– छात्राध्यापक, शिक्षक मित्र, एवं केन्द्र समन्वयकों की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिये शोधार्थी द्वारा विकसित प्रतिक्रिया मापनियों का प्रयोग किया गया। प्रतिक्रिया मापनी में कार्यक्रम के क्रियान्वयन, गुणवत्ता, समस्याएँ, संसाधन, समन्वय, सहयोग इत्यादि पहलू से सम्बधित कथन रखे गये। इन उपकरणों में 5 बिन्दु प्रतिक्रिया मापनी का प्रयोग किया गया।

प्रदत्त संकलन– शोधार्थी द्वारा राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण केन्द्र से 'ऑपरेशन क्वालिटी' से सम्बन्धित विद्यालयों, शिक्षण केन्द्रों, छात्राध्यापकों, केन्द्र समन्वयकों एवं शिक्षक मित्रों की सूची ली गई। स्तरीकृत देव विधि से शिक्षकों, केन्द्र समन्वयकों एवं शिक्षक मित्रों का चयन किया गया। शोधार्थी द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों में जाकर छात्राध्यापकों, केन्द्र समन्वयकों एवं शिक्षक मित्रों से तादात्म स्थापित कर उन्हें प्रतिक्रिया मापनी दी गई, जिसे पूर्ण कर उन्होंने शोधार्थी को वापस की। शोधार्थी द्वारा प्रतिक्रिया मापनियों का अंकन किया गया। प्रदत्तों का विश्लेषण माध्य, मानक विचलन, विचलन गुणांक एवं स्वतंत्र t- परीक्षण द्वारा किया गया।

परिणाम एवं विवेचना– छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया फलांकों की कुल संख्या, माध्य, मानक विचलन एवं विचलन गुणांकवार तालिका

	कुल संख्या	माध्य	मानक विचलन	विचलन गुणांक
छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया	50	142.38	25.04	17.58%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया फलांकों का माध्य 142.38 है, प्रतिक्रिया मापनी में 40 कथन दिये हैं जो कि ऑपरेशन क्वालिटी के विभिन्न पहलूओं से सम्बन्धित थे, प्रत्येक कथन के साथ पॉच बिन्दू मापनी दी गई थी जिस पर छात्राध्यापकों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी। फलांको का परास 40 से 200 था, प्रतिक्रिया माध्य 142.38 है जो कि मापनी के मध्यमान 120 से अधिक है। अतः छात्राध्यापकों की प्रतिक्रियाएँ कार्यक्रम के पक्ष में है। विचलन गुणांक 17.58 प्रतिशत यह दर्शाता है कि प्रतिक्रियाओं में ज्यादा भिन्नता नहीं है।

शिक्षक मित्रों के प्रतिक्रिया फलांको की कुल संख्या, माध्य, मानक विचलन एवं विचलन गुणांक बार तालिका विचलन गुणांक वार तालिका

	कुल संख्या (N)	माध्य (M)	मानक विचलन (SD)	विचलन गुणांक (CV)
शिक्षक मित्रों के प्रतिक्रिया फलांक	10	112.40	9.02	8.02%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि शिक्षक मित्रों के प्रतिक्रिया फलांको का माध्य 112.40 है। प्रतिक्रिया मापनी में 30 कथन दिये गये थे। अतः फलांको का परास 30 से 150 था। माध्य 112.40 प्रतिक्रिया मापनी के मध्यमान 90 से अधिक है। यह शिक्षक मित्रों की इस कार्यक्रम के पक्ष में प्रतिक्रियाएँ दर्शाता है। विचलन गुणांक 8.02 प्रतिशत प्रतिक्रियाओं में कम विभिन्नता होना दर्शाता है।

केन्द्र समन्वयकों के प्रतिक्रिया फलांकों की कुल संख्या, माध्य, मानक विचलन एवं विचलन गुणांक वार तालिका

	कुल संख्या (N)	माध्य (M)	मानक विचलन (SD)	विचलन गुणांक (CV)
केन्द्र समन्वयको के प्रतिक्रिया फलांक	10	111.80	11.37	10.16%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि केन्द्र समन्वयको के प्रतिक्रिया फलांको का माध्य 112.80 है जो प्रतिक्रिया मापनी के मध्यमान 90 से अधिक है। यह दर्शाता है कि केन्द्र समन्वयकों की प्रतिक्रियाएँ कार्यक्रम के पक्ष में है। विचलन गुणांक 10.16% है जो कि यह दर्शाता है कि प्रतिक्रियाओं में ज्यादा भिन्नता नहीं है।

निवास स्थान वार छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया फलांको की कुल संख्या, माध्य, मानक विचलन एवं t मान

निवास स्थान	कुल संख्या (N)	माध्य (M)	मानक विचलन (SD)	t मान
शहरी	32	140.09	25.67	0.859
ग्रामीण	18	146.44	24.04	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि t मान 0.859 है जो कि 0.05 स्तर पर स्वतंत्रता कोटी 48 के साथ सार्थक नहीं है। यह दर्शाता है कि शहरी एवं ग्रामीण छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य फंलाको में सार्थक अंतर नहीं है। अतः इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना कि शहरी एवं ग्रामीण छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य

फलांको में सार्थक अंतर नहीं है निरस्त नहीं की जाती है।

लिंगवार छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया माध्य फलांको की कुल संख्या, माध्य फलांको की कुल संख्या, माध्य, मानक विचलन एवं t मान

लिंग	कुल संख्या (N)	माध्य (M)	मानक विचलन (SD)	t मान
पुरूष	22	148.18	26.96	1.469
महिला	28	137.82	22.88	

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि t मान 1.469 है जो कि स्वतंत्रता कोटी 48 के साथ 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। यहा ये दर्शाता है कि पुरूष एवं महिला छात्राध्यापकों के प्रतिक्रिया फलांको के माध्यो मे सार्थक अंतर नहीं है। अतः इस संदर्भ में शून्य परिकल्पना निरस्त नहीं की जाती है।

निर्ष्कषता कहा जा सकता है कि ऑपरेशन क्वालिटी मध्यप्रदेश में शिक्षको की गुणवत्ता सुधारने के लिए चलाया गया कार्यक्रम था, यह कायक्रम भी राज्य शासन के अन्य कार्यक्रमों की भांति विसंगतियों का शिकार था जैसे कि संसाधनो की कमी, संप्रेषण एवं समन्वय का अभाव, व्यक्तिगत रूचि का अभाव, समर्पण भाव में कमी, अधिकारियों की कार्यक्रम के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार एवं लालफिताशाही का प्रभाव, शिक्षक मित्रों में शिक्षण विषयों एवं शैक्षिक तकनीकी का अपूर्ण ज्ञान, अनुपयुक्त प्रबन्धन, संपर्क केन्द्रों पर उपस्थिति में कमी, कागजी खानापूर्ति इत्यादि। शासकीय सेवा मे होने के कारण ज्यादातर शिक्षकों ने लिखित में अपनी प्रतिक्रिया कार्यक्रम के पक्ष में दी है किन्तु मौखिक रूप से उन्होंने इस कार्यक्रम की खामियाँ बताई है। सरकारी धन एवं तंत्र के प्रति शिक्षा विभाग की जवाबदेही तय होने की आवश्यकता है। पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षक व्यवहार, परीक्षा कार्यक्रम आदि मुद्दों पर छात्राध्यापक कार्यक्रम के पक्ष में प्रतिक्रियाएँ देते पाये गये।

❍❍❍❍❍

सफलता द्वारा विनम्रता आनी चाहिए

आस्मा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह समाज में रहता है इसीलिए समाज के अन्य लोगों के साथ सहयोग और सहानुभूति का व्यवहार रखता है। उनकी मदद करता है। सभी के लिये जैसा व्यवहार अथवा मनोभाव रखता है वैसा ही वह अपने लिये भी उनसे अपेक्षा करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति समाज में रहता है तो उसका स्वभाव सभी के लिये नहीं तो कुछ लोगों के लिये अवश्य हीं सहानुभूतिपूर्ण होता है या यह कह सकते हैं कि उसके स्वभाव में कुछ विनम्रता होती है। इस विनम्रता से उसके व्यक्तित्व का आंकलन होता है अर्थात् अन्य लोग उसके सम्बन्ध में अपनी राय बनाते हैं और उसको पहचानते हैं। जैसा कि स्पर्जन नामक लेखक ने कहा है – '' विनम्रता स्वयं का ठीक–ठीक मूल्यांकन है।''

दूसरी ओर अगर सफलता की बात करें तो किसी कार्य के लक्ष्य को प्राप्त करना ही सफलता कहलाती है। सफलता व्यक्तिनिष्ठ होती है। लक्ष्य अलग–अलग होने के कारण अलग–अलग व्यक्तियों के लिये सफलता का मतलब भी भिन्न–भिन्न होता है। व्यक्ति को सफल होने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर लगातार प्रयास करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है लेकिन यह कार्य वह अकेले नहीं कर सकता। इसके लिये उसे समय–समय पर अपने परिवार व समाज के अन्य लोगों के सहयोग और सहानुभूति की आवश्यकता होती है अर्थात उसे विनम्र स्वभाव और विनम्रतापूर्ण लोगों की आवश्यकता होती है। इससे यह पता चलता है कि विनम्रता सफलता पर प्रभाव डालती है।

सफलता और विनम्रता एक दूसरे के प्रति पूरक होते हैं। यदि व्यक्ति का स्वभाव अन्य लोगों के प्रति विनम्र है तो वह सफलता को आसानी से और अपेक्षाकृत जल्दी प्राप्त कर सकता है। जैसे, गाँधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिये अहिंसा का मार्ग अपनाया था। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहसपूर्ण, अडिग व्यवहार और विनम्रता के कारण ही अंग्रेजी प्रशासन डोलने लगा था और अन्त में गाँधी अपने देश को स्वतन्त्र कराने में सफल हुये थे। गाँधी जी के स्वभाव में इतनी अधिक विनम्रता थी कि जब विभिन्न आन्दोलनों के समय अंग्रेज अधिकारी उनके कार्यों के प्रति असभ्य शब्दों का प्रयोग करते थे, तो भी वे विनम्रता की मूर्ति बने रहते थे और सभी को आश्चर्यचकित कर देते थे। गाँधी जी ने सदैव देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में सोचा और देश को अंग्रेजों के चंगुल से निजात दिलाने में सफल हुये। यह कार्य उन्होंने विनम्रता के साथ किया और आज भी वे एक सफल व्यक्तित्व और विनम्रता की मूर्ति के रूप में याद किये जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विनम्रता सफलता के लिए आदर्श सतम्भ की तरह है। विनम्रता ही एक ऐसा गुण है जो सफल

व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बाद भी उदाहरण के रूप में समाज में सदैव जीवित रखता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति सब कुछ अपने लिये नहीं करता। उसकी सफलता के मायने अपने तक ही सीमित नहीं होते हैं बल्कि वह दूसरों के प्रति भी सेवाभाव रखता है। देश के लिये, संसार के लिये वह सदैव अच्छा सोचता है और उसी के लिए कार्य करता है। उदाहरण के रूप में हम अन्ना जी को ले सकते हैं। उन्होंने बिना किसी लालच के समाज और देश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिये एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा आन्दोलन के रूप में उठाया जिसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। दिल्ली के रामलीला मैदान में जब वे अनशन पर बैठे थे तो एक राजनीतिज्ञ ने उन्हें अपने साथ भारत माता की फोटो रखने को साम्प्रदायिकता बताया। उनके इस कथन पर अन्ना जी ने बिना किसी स्पष्टीकरण के तुरन्त भारत माता की फोटो को हटा दिया। अन्ना जी की यह विनम्रता ही थी जिसके कारण उन्होंने साम्प्रदायिकता का आरोप लगने पर भी मौन धारण कर लिया। वे जानते थे कि उनका लक्ष्य तो भ्रष्टाचार को समाप्त करना था। विभिन्न राजनीतिज्ञों के द्वारा भी उन पर आरोप–प्रत्यारोप लगाये गये लेकिन अपनी विनम्रता के कारण ही वे चुप रहे और अपने लक्ष्य को सफल बनाने में आज भी लगे हुए हैं।

स्पष्ट है, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने अन्दर विनम्रता लानी होगी। यहाँ मुझे एक सूक्ति याद आती है –

"विद्या ददाति विनियम्,
विनियम ददाति पात्रता।"

अर्थात ज्ञान से व्यक्ति विनम्रता को प्राप्त करता है और विनम्रता से ही वह किसी कार्य में सफल हो सकता है।

यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है और अपने आस–पास के अथवा समाज के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, आवश्यकता के समय उनकी मदद करता है तो समाज के लोग उसे उसके व्यवहार के कारण, अच्छे आचरण के कारण पसन्द करते हैं। उससे मिलकर खुश होते हैं और उसे याद रखते हैं। वह समाज में एक उदाहरण बन जाता है।

वर्तमान में व्यक्ति को सफल होने के लिये बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है। वह जब संघर्ष कर रहा होता है तो वह अपनी योग्यता, क्षमता, निष्ठता और विनम्रता के साथ प्रयास करता है। लेकिन जैसे–जैसे वह सफलता के करीब पहुँचता है विनम्रता को लगभग खो चुका होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं– सबसे महत्वपूर्ण उसकी वे परिस्थितयाँ होती हैं जिनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जूझ कर उसने सफलता प्राप्त की है। उसे वे कार्य भी करने पड़ते हैं जो उसे स्वीकार्य नहीं होते जैसे–रिश्वत देना, किसी भी कार्य को कराने के लिये एक आवश्यक शर्त बन गई है। यह प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं होती। इस स्थिति में जब वह सफल होता है तो वह अक्सर दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जिनसे वह गुजरा है। वह अन्य लोगों से मिलना –जुलना अधिक

पसन्द नहीं करता। उनके सुख–दुख से कोई मतलब नहीं रखता और उसके अन्दर 'मैं' की भावना अधिक हो जाती है। हम अपने आस–पास ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनके घरों में नौकर कार्य करते हैं और किसी कारणवश उनसे कोई कार्य बिगड़ जाता है अथवा वे ठीक से नहीं कर पाते हैं तो अधिकतर अभिजात्य वर्ग के लोग उसका कारण जाने बिना उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और ऐसा करके वे खुश भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति न तो समाज के द्वारा पसन्द किये जाते हैं और न ही वे किसी के द्वारा याद ही किये जाते हैं। इस तरह के लोग समाज में कभी उदाहरण नहीं बन सकते चाहें वे कितने ही धनाढ्य क्यों न हो।

वर्तमान में व्यक्ति यह नहीं सोचता है कि वह एक सामाजिक प्राणी है और ऐसे में समाज के लोगों से अलग होकर वह सफल कैसे कहला सकता है यदि हम सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुँचकर यह भूल जायें कि समाज में रहकर, समाज के लोगों के द्वारा ही हमें सफल घोषित किया गया है तो हम वास्तव में सफल नहीं कहलायेंगे। हम स्वयं की दृष्टि में तो सफल हो सकते हैं लेकिन यदि हम समाज से कोई वास्ता नहीं रखते, समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं करते, समाज और देश के बारे में नहीं सोचते तो हमें आत्म सन्तुष्टि की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। वही व्यक्ति सफल कहलाता है जो अपने साथ सबको लेकर चलता है, सबकी भलाई चाहता है अर्थात जब उसमें विनम्रता होती है तो वह समाज, देश और विश्व सब के विकास के लिए कार्य करता है। उसमें 'मैं' के स्थान पर 'हम' की भावना होती है। गाँधी जी, जवाहरलाल नेहरू, कबीर, मदर टेरेसा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आदि लोगों ने इसी भावना के साथ सफलता अर्जित किए हैं।

इस प्रकार यदि व्यक्ति के पास सफलता के साथ–साथ विनम्रता भी होती है तो वह ''सोने पे सुहागा'' का काम करती है। सफलता प्राप्त करने के बाद जिन लोगों में विनम्रता नहीं होती वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं समाज, देश और विश्व के बारे में नहीं। वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी ही है जहाँ व्यक्ति सिर्फ अपने लिये जीता है। यदि सफल व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार करे और उन्हें कभी न दुहराये तो वह अपने व्यवहार में विनम्रता ला सकता है। इस परिवर्तन को वह आत्मसन्तुष्टि के द्वारा बखूबी महसूस कर सकता है।

भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिक्षण में संस्थाओं का योगदान

उषा कटियार

'शास्त्रीय संगीत' जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसी कला है जिसका अपना निश्चित शास्त्र है। इसमें मौखिक व प्रदर्शनात्मक दोनों पक्षों का समावेश है, और इसलिए यह विद्या सदैव ही अध्ययन–अध्यापन के योग्य रही है। शास्त्रीय संगीत में समर्पण एवं संगीत साधन का होना अति आवश्यक है। शास्त्रीय संगीत, युगों–युगों की चेतना के परिणामस्वरूप, फलता–फूलता और विकसित होता रहा है। श्रीमती किशोरी आमोणकर ने शास्त्रीय संगीत के विषय में कहा है कि ''स्वरों के साथ भाव दिखाना शास्त्रीय संगीत है।''

हमारे देश में प्राचीन काल से ही संगीत का शिक्षण गुरु–शिष्य परम्परा द्वारा होता रहा है। इसमें शिष्य को गुरू के आश्रम में रहकर अथवा उनके निवास स्थान जाकर सीखना पड़ता था। गुरू के विश्वास हो जाने पर कि शिष्य पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण करने योग्य है, अर्थात सुपात्र सिद्ध होने पर उसे सीना–बसीना शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिष्य गुरू की समस्त खुबियों को यथाशक्ति आत्मसात करता था। यहाँ पर शिष्य तभी सफल माना जाता था जब वह अपने गुरु का प्रतिरूप बन प्रदर्शन करे। गुरु को जब यह विश्वास हो जाता था कि उसका शिष्य जीविकोर्पाजन योग्य हो गया है तब गुरु उसे जीविकोर्पाजन हेतु संस्तुति प्रदान करता था। यहाँ यह कहना अनुचित नहीं होगा कि गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है।

''गुरुर्ब्रह्म, गुरूर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुः साक्षात् परब्रहमः तस्मै श्री गुरुवे नमः''

संगीत जगत में आज भी गुरु को इसी रूप में आदर दिया जाता है। पुस्तकीय ज्ञान एवं पुस्तकें समाप्त हो सकती है किन्तु गुरु–शिष्य परम्परा द्वारा जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रहण किया गया वह आज भी किसी न किसी रूप में व्यवहार में रचा–बसा है। शास्त्रीय संगीत के सैद्धान्तिक एवं कलात्मक रूप का संरक्षण व संवर्द्धन इसी मौखिक परम्परा के कारण होता रहा है।

'मध्यकाल के अन्तिम चरण में 'घराना' शिक्षण पद्धति चर्मोत्कर्ष पर थी। इसका सम्बन्ध वर्तमान काल में प्रचालित ख्याल गायकी से है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि ख्याल गायन की विभिन्न शैलियों को घरानों की संज्ञा दी गई। घरानों के विषय में उमेश जोशी कहते हैं– ''घरानों की परम्परा का संगीत–शिक्षा से अटूट सम्बन्ध है।'' काफी समय तक हमारा शिक्षण अथवा अध्यापन इन घरानों के अन्तर्गत फलता–फूलता रहा और प्राचीन काल से संचालित गुरु–शिष्य परंम्परा घरानों की ही सहचारिणी रही।

गुरु शिष्य परम्परा एवं घरानेदार शिक्षण के पश्चात संगीत की संस्थागत शिक्षा का श्री गणेश 20वीं शताब्दी में हुआ। इसका श्रेय स्व. पं विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, स्व. प. विष्णु नारायण भातखण्डे, एवं सौरीन्द्र मोहन टैगोर आदि महान विभूतियों को जाता है। प्रथम विद्यालय की स्थापना बड़ौदा नगर में महाराजा सयाजी गायकवाड़ ने 'कॉलेज आफ इण्डियन म्यूजिक, डान्स एण्ड ड्रामेटिक्स बड़ौदा' में की। तत्पश्चात स्व. प. विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने

'गांधर्व महाविद्यालय लाहोर' की स्थापना की। इन्ही के समकालीन स्व. प. विष्णु नारायण भातखण्ड़े जी ने 'माधव संगीत विद्यालय' की स्थापना कम्पू कोठी में की। इसके अतिरिक्त 'मैरिस म्यूजिक कॉलेज लखनऊ', 'प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद' आदि की भी स्थापना की गई। भातखण्ड़े जी से सम्बद्ध एवं विष्णु दिगम्बर जी द्वारा संचालित इन संगीत महाविद्यालयों से सम्बद्ध संगीत संस्थाओं की विभिन्न प्रदेशों में शाखाएं खोली गईं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात विद्यालयों में भी संगीत एक विषय के रूप में लागू किया गया। वर्तमान समय में दो प्रकार की पद्धतियों द्वारा संगीत शिक्षा प्रदान की जा रही है।

1. केवल संगीत शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ।
2. अन्य विषयों के साथ संगीत शिक्षण देने वाली संस्थाएँ।

प्रथम वर्ग में केवल संगीत शिक्षा देने वाले संगीत विद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के संगीत विभाग आते हैं।

द्वितीय वर्ग में आते है सामान्य–विद्यालय तथा महाविद्यालय जिसमें अन्य विषयों के साथ संगीत विषय की विधिवत शिक्षा दी जाती है। इन दोनों ही संस्थाओं के क्षेत्र माना की एक दूसरे से भिन्न हैं किन्तु दोनों संस्थाओं के उद्देश्य एक ही है।

शास्त्रीय संगीत संस्थाओं में संगीत विषय के क्रिया पक्ष व शास्त्रीय पक्ष दोनों का समान रूप से अध्ययन अध्यापन हेतु पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया गया। प. विष्णु नारायण भातखण्ड़े ने क्रियात्मक पाठ्यक्रम में रागों की शिक्षा, क्रमबद्ध करने हेतु सर्वप्रथम राग का परिचय, आरोह–अवरोह, पकड़, सिखाकर रागों के गीत, प्रकार गमक (स्वर मालिका) लक्षण गीत, छोटे ख्याल, तराने, बड़े ख्याल, ध्रुवपद, धमार सीखाने के लिये रखे। क्रियात्मक गायन की शिक्षा में लक्षण गीत का सृजन भी किया गया।

इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति के 'चालीस सिद्वान्त' नामक अपने क्रमिक पुस्तिका के पाँचवे भाग में उत्तरपद्धिति के रागों की विशेषता किन सिद्वान्तों पर निर्भर करती है यह भी विस्तार से दिखलाया गया। संस्थागत–शिक्षण हेतु प्रायोगिक विषय के पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए इन्होनें 'क्रमिक पुस्तक मालिका' भाग छह में प्रकाशित करवायी। प. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर जी ने सामूहिक शिक्षा सुलभ बनाने के लिए पाठ्यपुस्तकें लिखी। स्वरलिपि का अविष्कार किया, 'संगीतामृत प्रवाह' मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। आगे चलकर इन महापुरूषों ने पाठ्यक्रमों को विशाल तथा लचीला बनाकर लागू किया। तत्पश्चात् भारत सरकार ने गांधर्व महाविद्यालय मंडल की परीक्षाओं को मान्यता प्रदान की और वह व्यवस्था अन्य संस्थाओं में भी लागू की गई।

संगीत शिक्षा के द्वितीय चरण में प. भातखण्ड़े जी ने संगीत शिक्षा को संस्थागत शिक्षण संरचना लागू करने का प्रयास किया, जिसके परिणामस्वरूप संगीत संस्थाओं के पाठ्यक्रम में, एक विषय के रूप में संगीत शिक्षण को सम्मलित किया गया। विषय के रूप में सर्वप्रथम यह बालिकाओं, बाद में बालकों के विद्यालय में संचालित किया गया। प्राथमिक विद्यालयों से छात्र–छात्राओं के अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए माध्यमिक अथवा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में इसका समावेश किया गया। सगीत पाठ्यक्रमों का निर्माण भी इन्ही संगीताचार्यों द्वारा किया गया। यहाँ यह बात और स्पष्ट करना उचित होगा कि दोनों प्रकार की संस्थाओं में पाठ्यक्रम की सीमाओं में रहकर शिक्षण प्रदान किया जाता है एवं परीक्षोपरान्त ही उनकी प्रतिभा का मूल्याकंन किया जाता है।

शास्त्रीय संगीत की शिक्षा संस्थाओं में प्रदान की जा सके इस हेतु संगीत को सुगम बनाया गया, संगीत सेवियों को सम्मान प्रदान किया गया तथा शास्त्रीय संगीत में रचनात्मकता को नवीन आयामों में प्रदर्शित किया गया। शास्त्रीय संगीत का शुभारम्भ जब संस्थागत शिक्षा प्रणाली में हुआ तब से शास्त्रीय संगीत में अनेकों क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए जो शास्त्रीय संगीत में संस्थाओं के योगदान को स्पष्ट करते हैं, जिनकी विवेचना निम्नवत् :–

- दोनों ही प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण कार्य सुचारू रूप से प्रदान किया जा रहा है जिससे अनेकों शिक्षार्थी लाभान्वित हो रहें है।
- प्रत्येक स्तर की कक्षा का मूल्यांकन परीक्षा प्रणाली द्वारा सम्पन्न कराया जाता है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को अग्रिम कक्षा में प्रोन्नत किया जाता है।
- प्रत्येक संस्था अपने स्तर (प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक) पर सम्मेलनों, सेमिनारों व गोष्ठियों का आयोजन कर रही हैं, जिससे विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। साथ ही अन्य संगीतज्ञों की गायकी से भी परिचय हो रहा है।
- व्याख्यान, प्रशिक्षणों का आयोजन भी संस्थाएँ समय–समय पर आयोजित कराती रहती हैं जिससे संगीत का प्रचार देश–विदेशों में हो रहा है।
- माध्यमिक स्तर तक की संस्थाओं में वर्ष भर अनेकों उत्सवों का आयोजन किया जाता है। जैसे स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, शिक्षक दिवस, गाँधी जयन्ती, बाल दिवस आदि उत्सवों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है जो कि संस्कृति के संरक्षण एवं सबर्द्धन की दिशा में अग्रणीय है।
- संस्थागत शिक्षण संस्थाओ में नवीन शिक्षण विधियों, संसाधनों, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे संगीत में व्यवसाय के नवीन आयाम प्रदर्शित हुए हैं।
- संस्थागत शिक्षण संस्थाओं में स्वर लिपि को व्यावहारिक रूप से प्रयोग में लाया जाता है जिसकी सहायता से विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्राप्त होता है और वे उनका गायन गृहकार्य में आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं।
- संस्थागत शिक्षण संस्थाएँ मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान कर रही हैं, ताकि लाभान्वित प्रतिभावान विद्यार्थी अपनी शिक्षा आगे बढ़ा सकें।
- संस्थाएँ अपने स्तर से विद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार, प्रमाण पत्र व छात्रवृत्ति भी प्रदान करती हैं जिससे उनका उत्साहवर्धन हो सके एवं विषयगत रुचि बढे।
- सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों की स्थापना के फलस्वरूप ये संस्थाएँ संस्कृति के आदान–प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। इसके अन्तर्गत अनेकों प्रदशर्नियों, सम्मेलनों, उत्सवों में कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है।
- संगीत नाटक अकादमी द्वारा लुप्त होती ध्रुपद शैली को ध्यान में रखते हुए ध्रुपद मेलों का आयोजन, प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, लोक कलाओं व जातीय कलाओं के चलचित्र, संगीत सम्बन्धी रिकार्ड आदि तैयार करना इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन परम्पराओं व कलाओं के संरक्षण हेतु पुरातत्व सामग्री का संकलन, 'आसावरी' नामक संग्रहालय में लोक शास्त्रीय, आदिवासी जातियों के वाद्य यन्त्रों का विशाल संग्रह भी संचालित किया जा रहा है।
- 'संगीत रिसर्च अकादमी' द्वारा शोधकार्य सम्पन्न कराए जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत शोध के मुख्य तीन क्षेत्र है।

1. शैक्षणिक शोध,
2. वैज्ञानिक शोध
3. संगीत शास्त्रीय शोध

- शोध विभाग के अन्तर्गत संगीत के प्रायोगिक एवं सैद्वान्तिक दोनों पक्षों पर शोधार्थी अनुसंन्धानों एवं गवेषणात्मक कार्यों की उच्च् स्तरीय नवीन व प्रमाणिक जानकारी सम्पन्न शोध–प्रबन्धों को प्रकाशित कर रहे हैं।

- विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर, एम.फिल. शोध स्तर के छात्र–छात्राएँ रोजगारपरक प्रतियोगिताओं, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, जी.आर.एफ. नेट की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपनी श्रेष्ठता एवं दक्षता सिद्व कर रही हैं। साथ ही सभी जीविकोपार्जन के साधन प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न संस्थाएँ चिकित्सा के क्षेत्र में म्यूजिक थैरेपी द्वारा अनेकों रोगों के निदान में अपना योगदान प्रदान कर रही हैं।
- संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष देश–विदेशों में गोष्ठियों का आयोजन करवाया जाता है जिससे संगीत के सैद्धान्तिक पक्ष को समझने, सीखने और शंकाओं के निवारण में मार्ग दर्शन प्राप्त होता है।
- संगीत गायन को विभिन्न संस्थाओं में विषय शिक्षण के रूप में भी प्रयोग में लाया जा रहा है। संगीत की सहायता से छोटे बच्चों को नीरस विषयों को रोचक, मनोरंजक बनाकर शिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं।
- संस्थाओं द्वारा अच्छे शिक्षक, कलाकार तथा श्रोता भी तैयार किए जा रहे हैं। जो शिक्षक स्वयम् विद्या अध्ययन करने के उपरान्त विद्यार्थियों को उत्कृष्ठ शिक्षण दे रहे हैं, उसके गुणी कलाकार समाज के समक्ष अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों के नाम रोशन कर रहे हैं। इससे उच्चकोटि के श्रोता समूह भी विकसित हो रहा है जिसे इसकी पर्याप्त समझ हैं कि कौन कलाकार किस श्रेणी का प्रस्तुतिकरण कर रहा है। श्रोता कलाकारों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो रहे हैं।
- शास्त्रीय संगीत को जन–सामान्य के लिए सुलभ करना, इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने का पुण्य कार्य संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।
- प्रख्यात–उभरते हुए नए–पुराने गायकों, वादकों के रिकार्ड किए हुए (कैसेट, ऑडियों सी.डी. वीडियो सी.डी.) बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि विद्यार्थियों का सुचारू रूप से मार्ग दर्शन कर रहे हैं।
- आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था संस्थाओं द्वारा की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में नहीं आना पड़ता। इस व्यवस्था से अनेकों विद्यार्थी संगीत शिक्षण का लाभ उठा रहे हैं।
- सूक्ष्म सिहांवलोकन करने पर निष्कर्ष यह निकलता है कि युग परिवर्तन व समय की मांग को देखते हुए शास्त्रीय संगीत में विभिन्न परिवर्तन हुए हैं। सस्थाओं में शास्त्रीय संगीत के आगमन से संगीत नवीन रुपों में परिलक्षित हुआ और जन समान्य के लिए सुलभ भी हुआ है। सस्थागत शिक्षण प्रणाली में कोई भी व्यक्ति निश्चित शुल्क भुगतान के पश्चात् शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सस्थाओं में संगीत शिक्षण के पश्चात् समस्त वर्गों में इसका प्रचार प्रसार तीव्र गति से हुआ है और संगीत के तथाकथित मठाधीशों का एकाधिकार भी समाप्त हुआ है। भारतीय शास्त्रीय शिक्षण में आज सस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है और आगे भी रहेगा।

संदर्भ –

1. डॉ पूनम दत्ता, भारतीय संगीत–शिक्षा और उदेद्य प्रथम संस्करण, 2005, पृष्ठ 53, प्रकाशक पूनम गोयल राज पब्लिकेशन अंसारी रोड दरियागंज दिल्ली।
2.. डॉ निशा रावत, संगीत मैन्यूल, पृष्ठ 146,उपकार प्रकाशन 2/11 एक स्वदेशी बीमा नगर शाह सिनेमा के सामने।
3. डॉ भालचंद्र पंचाक्षरी,लेख संस्थागत व गुरु,शिष्य, शिक्षा प्रणाली के मध्या समन्वय की तलाश पृष्ठ 46,जनवरी,फरवरी–1988 संगीत मासिक पत्रिका हाथरस (उ0प्र0)

सेक्स एजुकेशन में शिक्षकों व अभिभावकों की भूमिका

– विनोद कुमार

वर्तमान समाज व राष्ट्र दोनों ही परिवर्तन एवं विकास के दौर से गुजर रहे हैं। आज के वैश्वीकृत परिवेश में मनुष्य के कार्य क्षेत्र व उसके सन्दर्भ में सामाजिक अपेक्षाओं का स्वरूप भी परिवर्तित हुआ है और यह परिवर्तन इतना गम्भीर रूप लेकर आया है जिसका प्रभाव हमारी वर्तमान पीढ़ी पर स्पष्ट दिखायी देता है। एक नवजात शिशु को भी आपेक्षिक प्यार नहीं मिल पाता। माता–पिता दोनों ही अपने–अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं और उनकी सर्वश्रेष्ठ पूंजी, उनके बच्चे, अपने हक का प्यार प्राप्त नहीं कर पाते और यही क्रम आगे तक चलता रहता है। माता–पिता, परिवार के सदस्यों व बच्चों के बीच की खाई बढती जा रही है। बच्चों को जो संस्कार व शिक्षा वास्तव में प्राप्त होनी चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पाती। इसी कारण हमारे बच्चे जो इस देश के भविष्य हैं बहुत सी कुरीतियों के शिकार हो जाते हैं व गलत संगति में पड़ जाते हैं।

संचार क्रान्ति के इस युग में हमारी शिक्षा प्रणाली युवाओं को सही दिशा निर्देश प्रदान करने में सफल तो दूर अपूर्ण सिद्ध हो रही है। कारण बच्चों को संस्कार व सामाजिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। आज के छात्र व युवाओं के माता–पिता व परिवार के अन्य सदस्यों में वह सम्बन्ध नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। आज के युवा अपने माता–पिता से बात करना अपने समय की बरबादी समझते हैं। अलग–अलग कमरों में टीवी देखना, इंटरनेट पर चैटिंग करना व अश्लील साहित्य का अध्ययन आम बात हो गयी है जिसका प्रभाव हमें अपने चारो ओर दिखायी देने लगा है। युवाओं में सेक्स समस्या अन्य समस्याओं की तुलना में कहीं बड़ी हो कर सामने आ रही है। जो करीबी रिश्ते बहुत ही पवित्र माने जाते हैं उनमें भी सेक्स सम्बन्ध पाये जाने लगे हैं।

इस समस्या से हमारे विद्यालयों एवं महाविद्यालयों का वातावरण भी अछूता नहीं रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानों चारो ओर सेक्स बाजार लगा हो। सभी को अपनी कॉलोनी के बस स्टैण्ड व पार्क भी अय्याशी के अड्डे नजर आने लगे हैं। यह सब हमारी सभ्यता व संस्कृति के विपरीत हैं। इसका परिणाम आने वाले समय में बहुत ही भयानक होगा और हमारे युवा अपने पथ से भटक जायेंगे यह अंदेशा अब आम है।

प्रश्न उठता है ऐसे में हम क्या करें? सच तो यह है कि हमें अपने बच्चों को पारिवारिक व स्कूल स्तर पर सेक्स ऐजुकेशन प्रदान करनी चाहिए बावजूद इसके कि हमारे समाज के लोग भी सेक्स ऐजुकेशन को लेकर भिन्न–भिन्न विचार रखते हैं। इस बात को लेकर बहुत से लोग भ्रमित भी हैं। चकाचौंध व ग्लैमर की दुनिया में युवाओं को मीडिया और अपने पियर ग्रुप से कई तरह के संदेश मिलते हैं जो उनके दिलों दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। बहुत से विवेकशील युवा इस समस्या से निकल जाते हैं लेकिन कुछ इस दुविधा में पड़कर बहुत जल्दी झुक जाते हैं तथा अन्य साथियों से प्रभावित होकर व स्वयं उत्तेजित होकर गलत कदम उठा लेते हैं। 13 वर्षीय एक लड़की सम्पन्न व सुशिक्षित परिवार से आती थी तथा टॉप मोस्ट विद्यालय में अध्ययन करती थी। उसने अपने दोस्तों के कहने में आकर लड़कों का ग्रुप ज्वाइन कर लिया। यहॉ तक कि उसके ग्रुप की लडकियाँ गलत संगति में पड़कर कुछ ऐसी लज्जाजनक स्थितियों में फँस गई जिसके कारण उन्हें व उनके परिवार वालों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। यह भी देखने में आता है कि साथियों

के बहकावे में आकर बहुत से किशोर युवक युवतियाँ सैक्स रैकेट्स में फँस जाती हैं। कुछ युवा तो आवेश में आकर कई तरह की सैक्सुअल गतिविधियों में लग जाते हैं। हमारा सिनेमा व जगत मीडिया भी किसी हद तक इसका जिम्मेदार है। इसके कारण भी हमारे कई युवा सेक्स क्रियाओं में सक्रिय हो जाते हैं।

पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव हमारे युवाओं पर बहुतायत पड़ रहा है। हर व्यक्ति मॉडल बनना चाहता है। हर व्यक्ति अलग हटकर दिखना चाहता है। युवक युवतियों के कपड़े दिन प्रतिदिन छोटे व पारदर्शी होते जा रहे हैं। झूठी शान व बनावट के पीछे कितने दर्द व भयावह हादसे छिपे हैं, उन्हें इसका आभास भी नहीं होता है। अपनी आवश्यकता व शौक के लिए युवक युवतियाँ अपनी इज्जत भी दाव पर लगा देती हैं। कई बार किशोरों के नाजुक दिमाग पर अश्लील दृश्यों का भी बुरा असर पड़ता है। एक छात्र ने शिक्षक को यह बताया कि वह रोज अपने बैडरूम में हिंसात्मक और उत्तेजित करने वाली फिल्म देखता था। ऐसे दृश्य देखकर उसके मन में भी गलत विचार आने लगे थे। हाँलाकि उसे यह ज्ञात था कि यह सब गलत है। लेकिन, वह अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। ऐसे बहुत से युवक हैं जो किसी न किसी प्रकार की सेक्सी भावनाओं से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं का निवारण माता–पिता द्वारा परिवार के स्तर पर तथा स्तर पर तथा विद्यालय उचित शिक्षा प्रदान करके ही किया जा सकता है।

विद्यालय व महाविद्यालय स्तर पर सेक्स एजुकेशन– आज के इस खुले माहौल में खुद को संयमित रखकर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को सेक्स शिक्षा प्रदान कर सकता है जैसे–

1. पूर्व किशोरावस्था से ही उम्र के अनुसार सेक्स एजुकेशन प्रदान करना ताकि किशोर सही और गलत में अंतर कर सकें।
2. बहुत से मुददों पर खुलकर चर्चा करें, जैसे सेक्स संबंधी बीमारियाँ (एसटीडी, एचआईवी, एड्स), बलात्कार, यौन शोषण इत्यादि।
3. आयु अनुसार शारीरिक परिवर्तन की जानकारी प्रदान करना।
4. सांस्कृतिक व अन्य कार्यों की जानकारी जैसे शादी की उम्र, गर्भपात, गर्भ निरोधक व अन्य शारीरिक व आन्तरिक अंगो, क्रियाओं की जानकारी प्रदान कर।
5. सेक्स एजुकेशन शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर प्रदान की जानी चाहिए।
6. शिक्षक को लिंगानुसार शारीरिक परिवर्तन व आवश्यक दिशा निर्देश समय–समय पर छात्र/छात्राओं को प्रदान करने चाहिए।
7. स्कूल पाठ्यक्रम में सेक्स विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे छात्रों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। विवाद की स्थिति में विशिष्ट व्यक्ति व अध्यापक मिलकर समस्या का समाधान करें।
8. शिक्षकों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सही प्रशिक्षण व आवश्यक ज्ञान प्रदान करना व इस सम्बन्ध में शिक्षकों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है।
9. यदि छात्र व छात्रा सेक्स सम्बन्धी जानकारी शिक्षक से प्राप्त करते हैं तो शिक्षक गोपनीयता बनाये रखें।

सेक्स एजुकेशन में माता पिता की भूमिका :

प्रोफेसर अशुम के अनुसार :– ''सेक्स एजुकेशन का मतलब है सेक्स के बारे में उचित ज्ञान (जानकारी), सही सोच व धारणाएं और विपरीत सेक्स के साथ अपनी मर्यादा व आपसी मान–सम्मान को

ध्यान में रखते हुए जिम्मेदार व्यवहार''। उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए माता पिता को भी निम्न सेक्स सम्बन्धी बातों का ज्ञान अपने बच्चों को प्रदान करना चाहिए। जैसे–

1. माता–पिता अपने बच्चों से प्रत्येक विषय पर खुल कर बात करें।
2. अपने बच्चों की गतिविधियों के बारे में जानकारी रखें।
3. अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में जानकारी व उनके आपसी व्यवहार पर नजर रखें।।
4. अलग कमरे में टीवी देखना, इंटरनेट सर्च, इंटरनेट चैटिंग की आज्ञा न प्रदान करें।
5. बच्चों के सम्बन्ध में शिक्षक से लगातार बातचीत करें।
6. माता–पिता संवेदनशील मुददों पर चर्चा करने से न कतराये।
7. माता–पिता बच्चों के साथ कम्यूनिकेशन बनाकर रखें ताकि बच्चों के सामने यदि सेक्स सम्बन्धी कुछ उलझन व तनाव है तो उनसे सांझा (शेयर) करके खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें।

सेक्स असभ्य नहीं सभ्य समाज की भी वास्तविकता है। इसलिए इससे घबराने की नहीं बल्कि इससे जुड़ी अटपटेपन को साधने की जरूरत है। माता–पिता, अभिभावक बेहतर ताल–मेल के साथ उचित समय पर बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप स्पष्ट, सही और संतुलित जानकारी प्रदान कर उन्हें सेक्स से जुड़ी किसी भी प्रकार की विकृति की चपेट में आने से रोक सकते हैं। इस विश्वास के साथ उभरती पीढ़ी को सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों में भी दक्ष करने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

1- Dr. Bhoshle Rajan, Dr. Bhoshle Minnu "The Ultimate Sex Education Guide" Heart to Heart Foundation, 10 Jerbai Bagh, Near Cloria Church Byculla (E), Mumbai 400027. http:/www.goodreads.com/sex-education

2- Douglas Kirby "The Impact of Schools and Schools Programme upon Adolescent Sexual Behavior, Journal of Sex Research" http:/www.goodreads.com/sex-education

3- Chery L. Somers, Amy T. Surman "Adolescents Preferences for Source of Sex Education" http:/www.goodreads.com/sex-education

4- Charles Abraham, Mary Rogers Gillmore, Gerjo "Sex Education as Health Promotion, What Does It Take? Archives of Sexual Behavior" http:/www.goodreads.com/sex-education

5- Jeffrey P. Moran, "Teaching Sex: The Shaping of Adolescence in the 20th Century"http:/www.goodreads.com/sex-education

6- Susan K. Freeman, "Sex Goes to School: Girls and Sex Educaiton before the 1960s." http:/www.goodreads.com/sex-education.

7- Dainik Jagran New Paper, Meerut (U.P.)

❍❍❍❍❍

उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में जनतांत्रिक क्रियाकलापों का तुलनात्मक अध्ययन

— निधि तँवर

भारत एक जनतांत्रिक देश है और जनतंत्र एक जीवन शैली है, जो कि जीवन में सभी जगह देखी जा सकती है। जहॉ व्यक्ति का आदर होता है, विचार प्रदर्शन की स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता तथा अपने कार्यों को करने की स्वतंत्रता होती है। शिक्षा और जनतंत्र में घनिष्ठ सम्बन्ध है। शासन व्यवस्था के अनुरूप ही प्रत्येक देश की शिक्षा व्यवस्था की जाती है। आज का युग शिक्षा प्रधान युग है जिसमें बालकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में जो छात्र–छात्राएँ अध्ययन कर रही हैं वे ही आगे चलकर देश के भावी नागरिक बनेंगे। इन्हीं में से कुछ शासन की बागडोर सम्भालेंगे इसलिए इनमें जनतंत्रीय भावनाओं का होना आवश्यक है। आधुनिक सभ्यता और संस्कृति के दौर में भारतीय जनतंत्रीय मूल्यों को विश्व में बनाए रखना है तो वर्तमान नई पीढ़ी जो भविष्य में भारत के भाग्य निर्माता बनेंगे, के जनतंत्रीय मूल्यों का अध्ययन करना आवश्यक है और विद्यार्थियों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करने के लिये शिक्षा को मूल्यों से जोड़ना होगा। यह जानना आवश्यक है कि विद्यार्थियों में किस प्रकार के जनतंत्रीय मूल्य विद्यमान हैं तथा उनकी उपलब्धि किस प्रकार की है, दोनों में सम्बन्ध है या नहीं। जनतंत्रीय शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करने तथा दूसरे के विचार सुनने, और विद्यालय तथा समाज से संबंधित मामलों में राय देना भी होता है। प्रस्तुत शोध में शिक्षा को जनतांत्रिक क्रियाकलापों से जोड़ा गया है और विद्यालयों में होने वाले जनतांत्रिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया गया है। यह जानने का प्रयास किया गया है कि विद्यालयों में ऐसे कौन से क्रियाकलाप होते हैं जो जनतंत्र को सुदृढ़ करने में सहायक हैं? शोध में विद्यालयी पाठ्यक्रम में जनतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने हेतु सामग्री की उपलब्धता, अध्ययन–अध्यापन के दौरान जनतांत्रिक वातावरण की उपस्थिति का पता लगाने का प्रयास किया गया है।

समस्या कथनः

उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में जनतांत्रिक क्रियाकलापों का तुलनात्मक अध्ययन

शोध के उद्देश्यः

1. उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में जनतांत्रिक क्रियाकलापों का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. छात्र/छात्रा विद्यालयों में प्रचलित जनतंत्रात्मक क्रियाकलापों का अध्ययन करना।
3. उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के अभिमत का पता लगाना।

शोध की परिकल्पनाएँः

1. उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों में कोई सार्थक अंतर

नहीं है।

2. छात्र/छात्रा विद्यालयों में प्रचलित जनतंत्रात्मक क्रियाकलापों में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापक, अध्यापक एवं विद्यार्थियों के अभिमत में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

न्यादर्शः प्रस्तुत अध्ययन के न्यादर्श के लिए शोधर्थी द्वारा बॉसवाड़ा शहर के उच्च प्राथमिक स्तर के छात्र, छात्रा राजकीय एवं निजी विद्यालयों का चयन सोद्देश्य प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है तथा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा किया गया है।

क्रम संख्या	विद्यालय की प्रकृति	विद्यालय का नाम	चयनित छात्र/ छात्राओं की संख्या
1.	छात्र	रा. उ. प्रा. वि. मोहन कॉलोनी, बॉसवाड़ा	25
2.	छात्र	मॉ भारती उ. प्रा. विद्यालय, बॉसवाड़ा	25
3.	छात्रा	रा. बा. उ. प्रा. विद्यालय, माही कॉलोनी,	25
4.	छात्रा	मधुर एकेडमी उ. प्रा. विद्यालय, बॉसवाड़ा	25

उपकरणः ऑकड़ों के संकलन हेतु स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों के लिए स्वनिर्मित बंद व खुले प्रकार की प्रश्नावली एवं अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के लिए निर्देशित साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया।

अध्ययन विधिः प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है।

प्रदत्त विश्लेषणः बॉसवाड़ा शहर के उच्च प्राथमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में होने वाले विभिन्न प्रकार के जनतांत्रिक क्रियाकलापों के तीनों क्षेत्रों एवं उद्देश्यों के आधार पर समंकों का विश्लेषण कर तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

1. विद्यार्थियों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अभिमत –

जनतांत्रिक क्रियाकलापों के अभिमत (स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय की भावना) के सम्बन्ध में प्राप्त अभिमतों के आधार पर राजकीय एवं निजी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 के कुल 100 छात्र और छात्राओं के मतों को हॉ, नहीं एवं अनिश्चित मतों की संख्या के आधार पर विश्लेषित किया गया। इसमें स्वतंत्रता से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के 8 प्रश्न हैं, समानता से संबंधित 7 प्रश्न हैं तथा न्याय की भावना के सम्बन्ध में 11 प्रश्न हैं।

1.1 विद्यार्थियों का स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अभिमतः

तालिका 1

विद्यार्थियों का स्वतंत्रता के सम्बन्ध में अभिमत

क्र.सं.	प्रश्न	हॉ	नहीं	अनिश्चित	योग
1.	विद्यालय के खेलों में भाग लेने की पूर्ण स्वतंत्रता	94%	2%	4%	100
2.	सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता	88%	6%	6%	100
3.	विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता	74%	14%	12%	100
4.	विषयों के अध्यापकों से जानकारी	91%	5%	4%	100
5.	रुचि के उपलब्ध साहित्य पुस्तकालय से प्राप्त करना	80%	10%	10%	100
6.	पाठ्य सहभागी के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि	72%	17%	11%	100
7.	विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थी से मित्रता	95%	4%	1%	100
8.	विद्यालय से संबंधित प्रत्येक गतिविधि में सुझाव	78%	10%	12%	100

व्याख्या– उपर्युक्त तालिका से हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 72% से 95% विद्यार्थियों के अभिमतो के अनुसार उन्हें विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

1.2 विद्यार्थियों का समानता के सम्बन्ध में अभिमतः

तालिका 2

विद्यार्थियों का समानता के सम्बन्ध में अभिमत

क्र.सं.	प्रश्न	हॉ	नहीं	अनिश्चित	योग
1.	विद्यालय के उद्योग कार्यक्रम में अन्य के समान अवसर	81%	12%	7%	100
2.	समाजसेवा कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु अन्य के समान अवसर	56%	21%	23%	100
3.	विषय से सम्बन्धित अपने विचार प्रकट करने के समान अवसर	75%	14%	11%	100
4.	अन्य विद्यार्थियों की तरह उत्तरदायित्व	80%	13%	7%	100
5.	विभिन्न कार्यों में नेतृत्व करने के अवसर	76%	13%	7%	100
6.	कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान	69%	25%	6%	100
7.	कमजोर छात्रों की तरफ विशेष ध्यान	92%	7%	1%	100

व्याख्या– उपर्युक्त तालिका से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 56% से 81% विद्यार्थियों के अभिमतों के अनुसार उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समानता के अवसर प्रदान किये जाते हैं परन्तु कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले व योग्यता वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान के सम्बन्ध में 69% विद्यार्थियों का अभिमत है कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः यहॉ विद्यालय में असमानता का भाव झलकता है तथा कमजोर छात्रों की तरफ विशेष ध्यान के संदर्भ में 92% विद्यार्थियों का अभिमत है तथा उनके अनुसार उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर अध्यापक उनकी सहायता करते हैं तथा समानता के अवसर प्रदान करते हैं।

1.3 विद्यार्थियों का न्याय की भावना के सम्बन्ध में अभिमतः

तालिका 3

विद्यार्थियों का न्याय की भावना के सम्बन्ध में अभिमत

क्र.सं.	प्रश्न	हॉ	नहीं	अनिश्चित	योग
1.	विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव	37%	58%	5%	100
2.	पारितोषिक वितरण में न्याय	65%	22%	13%	100
3.	नेतृत्वशील कार्यों के अवसर	82%	12%	6%	100
4.	साहित्यिक गतिविधियों में निष्पक्ष निर्णय	75%	14%	19%	100
5.	सांस्कृतिक गतिविधियों के निर्णय	62%	27%	11%	100
6.	खेलकूद संबंधी गतिविधियों में भेदभाव	35%	57%	8%	100
7.	किसी मित्र या छात्र के साथ भेदभाव	34%	60%	6%	100
8.	समान अनुशासनात्मक कार्यवाही	59%	25%	16%	100
9.	अच्छे कार्य के लिए पारितोषिक	95%	3%	2%	100
10.	योग्य एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को सहायता	89%	6%	5%	100
11.	दूसरों की अपेक्षा कम अंक	17%	72%	11%	100

व्याख्या – उपर्युक्त तालिका से हमें यह निष्कर्ष प्राप्त होते हैं कि लगभग 58% से 95% विद्यार्थियों के अभिमत के अनुसार उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में न्यायपूर्वक व्यवहार एवं निर्णय दिये जाते हैं परन्तु पारितोषिक वितरण, सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभावपूर्ण निर्णय, खेलकूद सम्बन्धित गतिविधियों में भेदभाव, गलत कार्य में लिप्त विद्यार्थियों के विरूद्ध समान अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में लगभग 22% से 27% विद्यार्थियों का मत है कि उनके साथ न्याय संगत व्यवहार नहीं किया जाता है।

2. विद्यालयवार विद्यार्थियों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अभिमत –

विद्यालय में होने वाले जनतांत्रिक क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों (स्वतंत्रता, समानता, न्याय की भावना) के सम्बन्ध में राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के अभिमतों को क्षेत्रवार पहले आवृत्ति एवं फिर प्रतिशत में परिवर्तित किया गया। यथा – स्वतंत्रता के क्षेत्र के कुल 50 विद्यार्थियों के 8 प्रश्नों पर प्राप्त अभिमतों को हॉ/नहीं एवं अनिश्चित में वर्गीकृत कर प्रदर्शित किया गया। यहॉ इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि ऋणात्मक प्रश्नों में "नहीं" को "हॉ" में जोड़ा गया एवं "हॉ" को "नहीं" में। इस प्रकार प्राप्त आवृत्ति, प्रतिशत एवं काई–वर्ग परीक्षण मान को निम्न सारणी में दर्शाया गया है–

2.1 राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अभिमतः

तालिका 4

राजकीय एवं निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अभिमत

क्षेत्र	कुल अभिमत	राजकीय विद्यालय						निजी विद्यालय						काई–वर्ग मान	सार्थकता अन्तर
		हाँ		नहीं		अनिश्चित		हाँ		नहीं		अनिश्चित			
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
स्वतंत्रता	400	360	90 %	30	7.5 %	10	2.5 %	312	78.0 %	38	9.5 %	50	12.5 %	31.03	<0.001
समानता	350	199	56.85 %	131	37.42 %	20	5.71 %	201	57.42 %	107	30.57 %	42	12 %	10.23	<0.01
न्याय की भावना	550	412	74.90 %	119	21.63 %	19	3.45 %	352	64.0 %	113	20.54 %	75	13.63 %	38.14	<0.001

व्याख्या– प्रतिशत के आधार पर – तालिका 4 दर्शाती है कि –

1. स्वतंत्रता के सम्बन्ध में राजकीय विद्यालय के 90% विद्यार्थियों की राय है कि उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तथा निजी विद्यालय के 78% विद्यार्थियों का अभिमत है कि उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

2. समानता के क्षेत्र में राजकीय विद्यालय के 56.85% विद्यार्थियों का अभिमत है कि उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समानता के अवसर प्रदान किये जाते हैं निजी विद्यालय के 57.42% विद्यार्थियों के अभिमत हैं कि उन्हें समानता के अवसर प्रदान किये जाते हैं। परन्तु राजकीय विद्यालयों के 37.42% विद्यार्थियों के अभिमत के अनुसार उन्हें विद्यालयों के विभिन्न अवसरों में समानता के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा निजी विद्यालयों के 30.57% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें विद्यालयों के विभिन्न अवसरों में समानता के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं।

3. न्याय की भावना के सम्बन्ध में राजकीय विद्यालय के 74.90% विद्यार्थियों की राय के अनुसार उनके साथ विद्यालय में न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है । निजी विद्यालय के 64% विद्यार्थियों के मतानुसार उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जबकि राजकीय विद्यालयों के 21.63% विद्यार्थियों का मानना है कि उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया जाता है। निजी विद्यालय के 20.54% विद्यार्थियों के अनुसार उनके साथ विद्यालय में न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया जाता है।

व्याख्या– काई–वर्ग परीक्षण मान के आधार पर –

उपर्युक्त तालिका 4 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के लिए काई–वर्ग परीक्षण मान 31.03 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटि 2 के 0.001 पर सारणी मान 13.82 से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय के स्वतंत्रता के मूल्यों में सार्थक अंतर है साथ ही हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त होती है और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राजकीय विद्यालय में स्वतंत्रता के मूल्य निजी विद्यालय से उच्च है।

तालिका से समानता के लिए काई–वर्ग परीक्षण मान 10.23 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटि 2 के 0.01 पर सारणी मान 9.21 से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय के समानता

के मूल्यों में सार्थक अंतर है साथ ही हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त होती है और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राजकीय विद्यालय में समानता के मूल्य निजी विद्यालयों की तुलना में कम है।

तालिका से न्याय की भावना के लिए काई–वर्ग परीक्षण मान 38.14 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटि 2 के 0.001 पर सारणी मान 13.82 से काफी अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालय के न्याय की भावना के मूल्यों में सार्थक अंतर है साथ ही हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त होती है और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राजकीय विद्यालय में न्याय की भावना के मूल्य निजी विद्यालयों की तुलना में उच्च है।

3. विद्यार्थियों के लिंगानुसार जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में क्षेत्रवार अभिमत –

तालिका 5

लिंगानुसार विद्यार्थियों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अभिमत

क्षेत्र	कुल अभिमत	छात्र विद्यालय						छात्रा विद्यालय						काई–वर्ग मान	सार्थकता अन्तर
		हॉ		नहीं		अनिश्चित		हॉ		नहीं		अनिश्चित			
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%		
स्वतंत्रता	400	321	80.25 %	54	13.50 %	25	6.25 %	351	87.75 %	14	3.5 %	35	8.75 %	26.53	<0.001
समानता	350	195	55.71 %	129	36.85 %	26	7.42 %	205	58.57 %	109	31.14 %	36	10.28 %	3.54	सार्थक अंतर नहीं
न्याय की भावना	550	363	66.00 %	146	26.54 %	41	7.45 %	411	74.72 %	87	15.88 %	53	9.63 %	19.45	<0.001

व्याख्या– प्रतिशत के आधार पर – तालिका 5 के अनुसार –

1. स्वतंत्रता – छात्र विद्यालयों के 80.25% विद्यार्थियों की राय के अनुसार विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है परन्तु छात्रा विद्यालयों की 87.75% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें विद्यालय के प्रत्येक कार्य में स्वतंत्रता है।
2. समानता के सम्बन्ध में छात्र विद्यालय के 55.71% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें विद्यालय की विविध गतिविधियों में समानता के अवसर प्रदान किये जाते हैं परन्तु छात्रा विद्यालय की 58.57% छात्राओं के मतानुसार उन्हें विद्यालयी कार्यों में समानता के अवसर प्रदान किये जाते हैं, लेकिन छात्र विद्यालय के 36.85% छात्रों के मतानुसार उन्हें विद्यालयी गतिविधियों में समानता के अवसर नहीं दिये जाते हैं तथा छात्रा विद्यालय के 31.44% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें समानता नहीं प्रदान की जाती है।
3. न्याय की भावना के सम्बन्ध में छात्र विद्यालय के 66% विद्यार्थियों का अभिमत है कि उन्हें विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के दौरान उचित न्याय प्रदान किया जाता है, छात्रा विद्यालय की 74.72% छात्राओं के मतानुसार उन्हें विद्यालयी में न्याय प्रदान किया जाता है। परन्तु छात्र विद्यालय के 26.54% विद्यार्थी विद्यालय के न्याय के सम्बन्ध

में असंतुष्ट है तथा छात्रा विद्यालय के 15.88% छात्राओं के अनुसार उन्हें विद्यालय में उचित न्याय नहीं दिया जाता है।

व्याख्या – काई–वर्ग परीक्षण मान के आधार पर –

उपर्युक्त तालिका 5 से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के लिए काई–वर्ग परीक्षण मान 26.53 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटि 2 के 0.001 पर सारणी मान 13.82 से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि छात्र एवं छात्रा विद्यालय के स्वतंत्रता के मूल्यों में सार्थक अंतर है। अतः हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि छात्र विद्यालयों में स्वतंत्रता के मूल्य छात्रा विद्यालयों की तुलना में कम हैं।

तालिका से समानता के लिए काई–वर्ग परीक्षण मान 8.54 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटि 2 के 0.001 पर सारणी मान 13.82 से कम है। अतः यह कहा जा सकता है कि छात्र एवं छात्रा विद्यालय के समानता के मूल्यों में सार्थक अंतर नहीं है। अतः निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि छात्र विद्यालय एवं छात्रा विद्यालय में समानता के मूल्यों में एकरूपता पाई गई।

तालिका में न्याय की भावना के लिए काई–वर्ग परीक्षण मान 19.45 प्राप्त हुआ जो कि स्वतंत्रता की कोटि 2 के 0.001 पर सारणी मान 13.82 से अधिक है। अतः यह कहा जा सकता है कि छात्र विद्यालय और छात्रा विद्यालय के न्याय की भावना के मूल्यों में सार्थक अंतर है साथ ही हमारी शून्य परिकल्पना निरस्त होती है और निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि छात्र विद्यालयों में न्याय की भावना के मूल्य छात्रा विद्यालयों की तुलना में उच्च है।

4. विद्यार्थियों के अनुसार जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में क्षेत्र –

4.1 विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को महत्त्व देने वाले क्षेत्रों का विद्यालयवार अभिमतः

तालिका 6

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को महत्त्व देने वाले क्षेत्रों का विद्यालयवार अभिमत

क्षेत्र	कुल अभिमत	राजकीय विद्यालय						निजी विद्यालय						कुल योग					
		छात्र		छात्रा		योग		छात्र		छात्रा		योग		छात्र		छात्रा		योग	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
पढ़ाई		–	–	11	25	11	13.25	1	3.2	1	3.6	2	3.3	1	1.4	12	16.7	13	9.09
खेलकूद	4	10.2	12	27.3	16	19.27	4	12.5	1	3.6	5	8.3	8	11.3	13	18	21	14.7	
पर्व	21	53.4	13	29.6	34	41.0	14	43.6	13	46.2	27	45.0	35	49.3	26	36.1	61	42.7	
s.u.p.w. शिविर	11	28.2	–	–	11	13.2	3	9.3	4	14.2	7	11.7	14	19.8	4	5.6	18	12.6	
सांस्कृतिक कार्यक्रम	3	7.60	8	18.9	11	13.2	5	15.6	9	32.2	14	23.3	8	11.3	17	23.7	25	17.5	
अन्य	–	–	–	–	–	–	5	15.6	–	–	5	8.3	5	7.04	–	–	5	3.5	
योग	39	–	44	–	83	–	32	–	28	–	60	–	71	–	72	–	143	–	

तालिका 6 के अनुसार राजकीय विद्यालय के 13.25% विद्यार्थियों के अनुसार पढ़ाई के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व को

महत्त्व दिया जाता है परन्तु निजी विद्यालय के 33% विद्यार्थी ही पढ़ाई के क्षेत्र में व्यक्तित्व के महत्त्व के संबंध में सहमत हैं। राजकीय विद्यालय के 19.27% विद्यार्थियों के अनुसार खेलकूद के क्षेत्र में उनके व्यक्तित्व को महत्त्व दिया जाता है परन्तु निजी विद्यालय के 8.3% विद्यार्थियों का मानना है कि उनके व्यक्तित्व को खेलकूद में महत्त्व दिया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के क्षेत्र में राजकीय विद्यालय के 13.2% विद्यार्थियों के मतानुसार उनको महत्त्व दिया जाता है। परन्तु निजी विद्यालय के 23.3% विद्यार्थियों के मतानुसार उनके व्यक्तित्व को महत्त्व दिया जाता है। कुल विद्यार्थियों के मतानुसार गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों में 50% से अधिक विद्यार्थियों का मानना है इन पर्वों में उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट महत्त्व दिया जाता है।

4.2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र का विद्यालयवार अभिमतः

तालिका 7

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के क्षेत्र का विद्यालयवार अभिमत

क्षेत्र	राजकीय विद्यालय						निजी विद्यालय						कुल योग					
	छात्र		नहीं		अनिश्चित		हॉ		नहीं		अनिश्चित		हॉ		नहीं		अनिश्चित	
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
पढ़ाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
खेलकूद	11	35.4	5	18.6	16	27.6	7	33.3	3	13.7	10	23.2	18	34.7	8	16.3	26	25.8
पर्व	–	4	14.9	4	6.9	–	–	7	31.8	7	16.2	–	–	11	22.5	11	10.9	
s.u.p.w. शिविर	7	25.6	–	–	7	12.06	3	14.3	–	–	3	7.0	10	19.2	–	–	10	9.9
सांस्कृतिक कार्यक्रम	6	19.3	14	51.9	20	34.5	4	19.1	10	45.5	14	32.6	10	19.2	24	49	34	33.7
अन्य	7	25.6	4	14.9	11	19	7	23.4	2	9	9	21	14	27	6	12.2	20	19.8
योग	31	–	27	–	58	–	21	–	22	–	43	–	52	–	49	–	101	–

तालिका 6 के अनुसार राजकीय विद्यालय के 6.9% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें राष्ट्रीय पर्वों में उनके विचार देने की स्वतंत्रता है परन्तु निजी विद्यालय के 16.2% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय पर्वों में उनके विचार देने की स्वतंत्रता है। राजकीय विद्यालय के 12.06% विद्यार्थियों के अनुसार उनको एस.यू.पी.डब्ल्यू. शिविर में उनके सुझाव एवं विचार देने की स्वतंत्रता है परन्तु निजी विद्यालयों में केवल 7% विद्यार्थी ही शिविरों में विचार अभिव्यक्ति के संबंध में सहमत हैं। कुल विद्यार्थियों के मतानुसार लगभग 50% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है।

4.3 नेतृत्व के अवसर के क्षेत्र का विद्यालयवार अभिमतः

तालिका 8

नेतृत्व के अवसर के क्षेत्र का विद्यालयवार अभिमत

क्षेत्र	कुल अभिमत	राजकीय विद्यालय						निजी विद्यालय						कुल योग					
		छात्र		छात्रा		योग		छात्र		छात्रा		योग		छात्र		छात्रा		योग	
		f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%
पढ़ाई	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
खेलकूद	2	8.7	2	9.6	4	9.09	6	16.7	2	9.09	8	16.3	8	16	4	9.3	12	12.9	
पर्व	10	43.4	2	9.6	12	27.27	8	22.4	5	22.7	13	26.5	18	36	7	16.2	25	26.8	
s.u.p.w. शिविर	3	13	.	.	3	6.9	.	.	2	9.09	2	4.08	3	6	2	4.7	5	5.37	
सांस्कृतिक कार्यक्रम	.	.	.	.	.	.	4	11.1	.	.	4	8.16	4	8	.	.	4	4.3	
अन्य	8	21.7	17	80.8	25	56.9	9	24.9	13	59.1	22	44.9	17	34	30	69.8	47	50.5	
योग	23	.	21	.	44	.	27	.	22	.	49	.	50	.	43	.	93	.	

तालिका 8 का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञात होता है कि राजकीय विद्यालय के 9.09% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें खेलकूद में नेतृत्व भार सौंपा जाता है परन्तु निजी विद्यालय के 16.3% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें खेलकूद के क्षेत्र में नेतृत्व सौंपा जाता है। कुल विद्यार्थियों में से लगभग 50% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें रैली में, महापुरूषों की जयन्ति पर, कक्षा–मोनिटर के रूप में, पिकनिक श्रमकार्य में, वृक्षारोपण आदि अन्य कार्यों में नेतृत्व का भार सौंपा जाता है। 27% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें राष्ट्रीय पर्वों पर नेतृत्व का भार सौंपा जाता है।

5. विद्यालयों में आयोजित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में अध्यापकों के मत – तालिका 9

विद्यालयों में आयोजित जनतांत्रिक क्रियाकलाप – अध्यापकों के मत

प्रश्न	अध्यापक राजकीय विद्यालय				अध्यापक निजी विद्यालय			
	हॉ %	नहीं %	हॉ %	नहीं %	हॉ %	नहीं %	हॉ %	नहीं %
विद्यालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों में राय	62.5	2.5	25	100	50	12.5	37.5	100
प्रधानाध्यापक द्वारा सभी अध्यापकों को समान अवसर	87.5	12.5	.	100	75	25	.	100
विद्यालय में महत्त्वपूर्ण निर्णय पूर्वाग्रह ग्रसित	.	87.5	12.5	100	.	87.5	12.5	100
सभी अध्यापकों को क्षमता प्रकट करने के अवसर	62.5	12.5	25	100	87.5	12.5	.	100

विद्यालय का वातावरण जनतंत्रात्मक विकसित	62.5	37.5	.	100	75	25	.	100
प्रधानाध्यापक अध्यापक संबंध जनतंत्रात्मक	75	25	.	100	100	.	.	100
विद्यालय का पाठ्यक्रम जनतंत्रात्मक	62.5	37.5	.	100	75	25	.	100
विद्यालयी कार्यक्रमों में विचारों की स्वतंत्रता	100	.	.	100	100	.	.	100
विद्यालय में पढ़ने हेतु विषय चयन की स्वतंत्रता	62.5	12.5	25	100	50	50	.	100

तालिका 9 के अनुसार राजकीय विद्यालय के 62.5% अध्यापकों के अनुसार विद्यालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय ली जाती है परन्तु निजी विद्यालय के 50% अध्यापकों के मतानुसार विद्यालय के महत्त्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय ली जाती है।

राजकीय विद्यालय के 87.5% अध्यापकों के मतानुसार उनके साथ प्रधानाध्यापक द्वारा समानता का व्यवहार किया जाता है परन्तु निजी विद्यालय के 75% अध्यापकों के मतानुसार उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है।

राजकीय विद्यालय के 62.5% अध्यापकों की साथ राय है कि प्रधानाध्यापक द्वारा उनको अपनी क्षमता प्रकट करने के अवसर दिये जाते हैं। परन्तु निजी विद्यालय के 87.5% अध्यापकों के अनुसार उन्हें अपनी राय प्रकट करने के अवसर दिये जाते हैं।

राजकीय विद्यालय के 75% अध्यापकों के मतानुसार विद्यालय का वातावरण जनतंत्रात्मक विकसित करने में सहायक है। निजी विद्यालय के 100% अध्यापकों की राय है कि विद्यालय का वातावरण जनतंत्रात्मकता विकसित करना है।

विद्यालयी कार्यक्रमों में विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के संबंध राजकीय एवं निजी दोनों ही विद्यालयों के 100% अध्यापक सहमत है।

विद्यालय में पढ़ाने हेतु विषय चयन की स्वतंत्रता कि संबंध में राजकीय विद्यालयों के 100% अध्यापक सहमत है।

विद्यालय में पढ़ाने हेतु विषय चयन की स्वतंत्रता कि संबंध में राजकीय विद्यालयों के 6.25% मत है कि उन्हें स्वतंत्रता है परन्तु निजी विद्यालय के 50% अध्यापकों के अनुसार उन्हें स्वतंत्रता है।

6. विद्यालयों में आयोजित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के सम्बन्ध में प्रधानाध्यापकों के मत –

तालिका 10

विद्यालयों में आयोजित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के संबंध में प्रधानाध्यापकों के अभिमत

प्रश्न	अध्यापक राजकीय विद्यालय		अध्यापक निजी विद्यालय	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
विद्यालय की गतिविधियॉं जिनसे	खेल	साहित्यिक	खेल	शैक्षणिक एवं
जनतांत्रिक मूल्यों का विकास	क्विज़	सांस्कृतिक	क्विज़	सहशैक्षिणिक

होता है।	पोषाहार कार्यक्रम प्रार्थना सभा s.u.p.w. शिविर सांस्कृतिक कार्यक्रम शनिवारीय कार्यक्रम	कार्यक्रम वाद–विवाद खेल	प्रतियोगिताएँ	गतिविधियॉं वृक्षारोपण
विद्यालय प्रशासन की परिस्थितियॉं जो जनतांत्रिक दृष्टि से दी गई स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाती हैं।	कोई परिस्थिति नहीं	कोई प्रतिबंध नहीं कार्यालय का प्रतिबंध	प्रवेश प्रक्रिया में संस्था का दबाव स्टॉफ चयन में संस्था का दबाव	प्रबंधन का सभी कार्यों में दबाव जैसे चयन प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम आदि में
कक्षा–कक्ष में अध्यापक किस प्रकार जनतांत्रिक वातावरण का सृजन करता है।	समान अवसर जातिगत भेदभाव जनतांत्रिकता के बारे में जानकारी देकर	पाठ्यक्रम में यदि कोई इस तरह का अध्याय हो तो अध्ययन करवाया जाता है नहीं तो नहीं।	पढ़ाई से समूह शिक्षण	खेल सांस्कृतिक गतिविधि
अध्यापकों को सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार का निर्देश देना	हॉं समानता का भाव न्याय	समानता	हॉं	हॉं
विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को समस्या समाधान के समान अवसर	समान अवसर	मार्कशीट निर्माण में बच्चों की राय ली जाती है। ग्रुप बनाकर अपने ही साथी के प्रश्नों को साथी से चेक करवाया जाता है और उत्तर दिये जाते हैं।	नियमानुसार स्वतंत्रता	समस्याओं को पूछने की स्वतंत्रता
अध्यापकों के कार्य की सीमा	कार्य का विभाजन स्वतंत्र रूप से	पाठ्यक्रम को पूर्ण करने को निर्देशित	नयमानुसार स्वतंत्रता	समस्या को पूछने की स्वतंत्रता

	सम्पन्न आपसी सहयोग से	किया जाता है। समस्या के संबंध में स्वतंत्र		
विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के नियोजन में अध्यापकों की भूमिका	प्रत्येक योजना का प्रभारी बनाया जाता है। प्रार्थना सभा, शनिवारीय कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम आवश्यकता होने पर राय लेने की स्वतंत्रता	विषय संबंधी विचार गरीब बच्चों को सामग्री वितरण भौतिक सुविधाओं पर विचार	सुझाव आमंत्रित	उनके कार्य में सहयोग

7 अध्ययन के निष्कर्ष –

7.1 विद्यार्थियों के स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण के निष्कर्ष –

- विद्यालय में खेलों में भाग लेने में कुल 94% विद्यार्थियों को स्वतंत्रता है।
- विचारों को अभिव्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता के बारे में 74% विद्यार्थियों का मत है कि उनको स्वतंत्रता मिलती है। 14% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। अतः विद्यालयों में अध्यापकों को इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो।
- 72% से 95% विद्यार्थियों के अभिमतों के अनुसार उन्हें विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।
- 2% से 17% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती है। अतः अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों में स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए।
- राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों में सार्थक अंतर पाया गया। अतः राजकीय एवं निजी विद्यालयों के स्वतंत्रता के मूल्य में सार्थक अंतर है, अतः दोनों प्रकार के विद्यालयों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों में भिन्नता पाई गई जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजकीय विद्यालयों में स्वतंत्रता के मूल्य निजी विद्यालयों से उच्च है।
- छात्र विद्यालयों और छात्रा विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों में सार्थक अंतर पाया गया। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि छात्र विद्यालयों में स्वतंत्रता के मूल्य छात्रा विद्यालयों की तुलना में कम है।

7.2 विद्यार्थियों के समानता के प्रति दृष्टिकोण के निष्कर्ष –

- कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले व योग्यता वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतः यहॉ विद्यालय में असमानता का भाव झलकता है। अतः विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी सहायता करनी चाहिए, ताकि समानता का भाव विकसित हो सके।

- कमजोर छात्रों की तरफ विशेष ध्यान के संदर्भ में 92% विद्यार्थियों का अभिमत है तथा उनके अनुसार उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर उनकी सहायता करते हैं तथा समानता के अवसर प्रदान करते हैं।
- 56% से 81% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में समानता के अवसर प्रदान किये जाते हैं।
- परन्तु 7% से 21% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें विद्यालय में समानता के अवसर प्रदान नहीं किये जाते हैं। अतः विद्यालयों में ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया जाय जिससे विद्यार्थियों को समानता प्रदान की जा सकें।
- राजकीय एवं निजी विद्यालयों के समानता के मूल्यों में सार्थक अंतर है, अर्थात् राजकीय विद्यालयों में समानता के मूल्य निजी विद्यालयों की तुनला में कम है।
- छात्र एवं छात्रा विद्यालयों के समानता के मूल्य में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अर्थात् छात्र एवं छात्रा विद्यालय के समानता के मूल्यों में भिन्नता नहीं है अपितु उनमें समानता के मूल्य एकसमान है।

7.3 विद्यार्थियों के न्याय की भावना के प्रति दृष्टिकोण के निष्कर्ष –

- 37% विद्यार्थियों की राय के अनुसार विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव किया जाता है। 58% विद्यार्थियों के मतानुसार भेदभाव नहीं किया जाता है। अतः प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों को प्रवेश प्रक्रिया के नियम में परिवर्तन करना चाहिए।
- लगभग 58% से 95% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में न्यायपूर्वक व्यवहार एवं निर्णय दिये जाते हैं।
- परन्तु पारितोषिक वितरण, सांस्कृतिक गतिविधियों में भेदभावपूर्ण निर्णय, खेलकूद संबंधी गतिविधि में भेदभाव, गलत कार्यों में लिप्त विद्यार्थियों के विरूद्ध समान अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में लगभग 22% से 27% विद्यार्थियों का मत है उनके साथ न्यायसंगत व्यवहार नहीं किया जाता है।
- राजकीय एवं निजी विद्यालयों के न्याय की भावना के मूल्यों में सार्थक अंतर है। जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजकीय विद्यालयों में न्याय की भावना के मूल्य निजी विद्यालयों की तुलना में उच्च है।
- छात्र एवं छात्रा विद्यालयों के न्याय की भावना के मूल्यों में सार्थक अंतर है। अतः दोनों प्रकार के विद्यालयों के न्याय की भावना के मूल्यों में भिन्नता पाई गई जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि छात्र विद्यालयों में न्याय की भावना के मूल्य छात्रा विद्यालयों की तुलना में उच्च है।

7.4 विद्यार्थियों के अनुसार जनतांत्रिक क्रियाकलापों के क्षेत्र के निष्कर्ष –

- राजकीय विद्यालयों के 13.25% विद्यार्थियों के मतानुसार पढ़ाई के क्षेत्र में महत्त्व दिया जाता है परन्तु निजी विद्यालयों के 33% विद्यार्थी पढ़ाई के क्षेत्र में व्यक्तित्व के महत्त्व के संबंध में सहमत हैं।
- कुल विद्यार्थियों में से 50% से अधिक विद्यार्थियों का मानना है कि राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) में उनके व्यक्तित्व को विशिष्ट महत्त्व दिया जाता है। अतः विद्यालयों में ऐसे अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को महत्त्वपूर्ण माना जाये।
- राजकीय विद्यालयों के 6.9% विद्यार्थियों के अनुसार राष्ट्रीय पर्वों में उनको विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है लेकिन निजी विद्यालयों के 16.2% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें राष्ट्रीय पर्वों में अपने विचार देने की स्वतंत्रता है।
- कुल विद्यार्थियों में से लगभग 60% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें खेलकूद में राय देने की एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों

में अपनी अभिव्यक्ति देने की स्वतंत्रता है।

- कुल विद्यार्थियों में से लगभग 50% विद्यार्थियों के अनुसार उन्हें रैली में, महापुरूषों की जयन्ति पर, कक्षा मॉनिटर के रूप में, पिकनिक, श्रम कार्य में, वृक्षारोपण आदि कार्यों में नेतृत्व भार सौंपा जाता है। 27% विद्यार्थियों के मतानुसार उन्हें राष्ट्रीय पर्वों (गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस) पर नेतृत्व भार सौंपा जाता है।

7.5 विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के प्रति अध्यापकों के निष्कर्ष –

- राजकीय विद्यालयों के 62.5% अध्यापकों के अनुसार विद्यालयों के महत्त्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय ली जाती है परन्तु निजी विद्यालयों के 50% अध्यापकों के अनुसार महत्त्वपूर्ण निर्णयों में उनकी राय ली जाती है।
- राजकीय विद्यालयों के 87.5% अध्यापकों के अनुसार उनके साथ प्रधानाध्यापक द्वारा समानता का व्यवहार किया जाता है परन्तु निजी विद्यालयों के 75% अध्यापकों के अनुसार उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है।
- राजकीय विद्यालयों के 62.5% अध्यापकों की राय है कि प्रधानाध्यापकों द्वारा उनको अपनी क्षमता प्रकट करने के अवसर दिये जाते हैं परन्तु निजी विद्यालयों के 87.5% अध्यापकों के अनुसार उन्हें अपनी क्षमता प्रकट करने के अवसर दिये जाते हैं।
- राजकीय विद्यालयों के 75% अध्यापकों के मतानुसार विद्यालयों का वातावरण जनतंत्रात्मकता विकसित करने में सहायक है। निजी विद्यालयों के 100% अध्यापकों की राय है कि विद्यालयों का वातावरण जनतंत्रात्मकता विकसित करता है।
- विद्यालयी कार्यक्रमों में विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता के संबंध में राजकीय एवं निजी दोनों ही विद्यालयों के 100% अध्यापक सहमत हैं।
- विद्यालयों में पढ़ाने हेतु विषय चयन की स्वतंत्रता के संबंध में राजकीय विद्यालयों में 62.5% अध्यापकों के मत है कि उन्हें स्वतंत्रता है परन्तु निजी विद्यालयों के 50% अध्यापकों के अनुसार उन्हें स्वतंत्रता है।

7.6 विद्यालयों में आयोजित जनतांत्रिक क्रियाकलापों के प्रति प्रधानाध्यापकों के निष्कर्ष

- प्रधानाध्यापकों द्वारा विद्यालयों में खेल, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों, क्विज, प्रार्थना सभा, शनिवारीय कार्यक्रमों आदि के द्वारा विद्यार्थियों में जनतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाता है।
- राजकीय विद्यालयों में कार्यालय आदेश का निजी विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, परीक्षा परिणाम आदि में संस्थाओं के सदस्यों का दबाव होता है, जिसमें जनतांत्रिक दृष्टि से दी गई स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता है और उनकी राय के अनुसार कार्य करना पड़ता है।
- विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के अनुसार समान व्यवहार, जातिगत भेदभाव नहीं, पढ़ाई, समूह शिक्षण, खेल आदि के माध्यम से अध्यापक जनतांत्रिक वातावरण का सर्जन करते हैं।
- विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को अपनी समस्या समाधान के समान अवसर के संबंध में प्रधानाध्यापकों की राय है कि सभी को समान अवसर दिये जाते हैं तथा राजकीय छात्रा विद्यालय की प्रधानाध्यापिकाओं के अनुसार मार्कशीट में कुछ अंक बच्चों द्वारा 3–3 के ग्रुप बनाकर अपने साथियों के प्रश्नों के जॉच करके दिये जाते हैं।
- अध्यापकों द्वारा कार्य करने की सीमा में स्वतंत्रता के संबंध में प्रधानाध्यापकों की राय है कि उन्हें कार्य विभाजन कर, स्वतंत्र रूप से कार्य सम्पन्न करने तथा उनकी समस्याओं को मिलकर समाधान किया जाता है।
- प्रधानाध्यापकों के अनुसार प्रार्थना सभा, शनिवारीय कार्यक्रम, पोषाहार कार्यक्रम, पाठ्यपुस्तक वितरण, गरीब बच्चों को

सामग्री वितरण, भौतिक सुविधाओं के संबंध में विचार आदि कार्यों में अध्यापकों की सहायता ली जाती है।

8. अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ –

- प्रधानाध्यापकों को विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय मिल सके तथा प्रधानाध्यापकों द्वारा अध्यापकों को पढ़ाने हेतु विषय चयन की स्वतंत्रता दी जाए।
- पाठ्यक्रम निर्माताओं को पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों में जनतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने के लिए अध्याय जोड़ने चाहिए।
- माता–पिता को विद्यार्थियों में बचपन से ही बच्चों में जनतांत्रिक मूल्यों एवं मूल कर्तव्यों के भाव विकसित करने चाहिए, जिससे बड़े होकर विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें।

9. भावी शोध हेतु सुझाव –

- प्रस्तुत अध्ययन में राजकीय एवं निजी विद्यालयों में प्रचलित जनतांत्रिक क्रियाकलापों में भिन्नता पाई गई है। अतः इस भिन्नता के कारण जानने का प्रयास आगे के शोधकार्यों में किया जा सकता है।
- विभिन्न संकायों – कला, विज्ञान व वाणिज्य के विद्यार्थियों के जनतांत्रिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोधकार्य में राजकीय एवं निजी विद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, इसी प्रकार ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों के विद्यार्थियों, अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ

1 Best, J.W. (1983): "Research in Education', Prentice Hall of India Pvt. Ltd., New Delhi.

2 Bhatnagar, R.P., and Bhatnagar, A.B.(1995): "Educational Research: Method & Analysis', Lal Book Depot, Meerut.

3 Buch, M.B. (Ed.) (1975): "Society for Educational Research and Development Studies: of

4 Teaching & Teacher Behavior' Baroda, CASE, MS.

5 Dhodhiyal, S.N., Phatak, A.B. (1972): "Shakshik Anusandhan Ka Vidhishastra', Raj. Hindi Granth Academy, Jaipur.

6 Gupta, S.P. (2003): "Sankhikiy Vidhiya' (Statistical Techniques), Sradha Pustak Bhandar, Allahabad.

7 Gilchirst, R.N. (1964): "Principles of Political Science', Orient Longmans Ltd., Bombay.

8 Hans, Nicholas, "Democracy & Education', Hindi Granth Academy, M.P.

9 Dewey, John, "Democracy & Education', The MacMillan Company, New York.

10 Aggrawal, J.C., Pant, B.D., "Democratic Principles & Educational Supervisor', Arya Book Depot.

11 Das, Mamota (Ap. 2004): "Value Education', University News, Annamalai University, Annamalai nagar, (T.N.)

P.-12 Editor South Indian Teacher: "Education and Democracy', the South Indian Teacher, Vol. XXX. No.-11, Nov. 1959.

हमारे लेखक

अर्चना दुबे
रीडर, शिक्षा अध्ययनशाला
विभागाध्यक्षा
समान विज्ञान अध्ययनशाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
इन्दौर, म.प्र.

दीप नरायन सिंह
शोधार्थी, शिक्षा अध्ययनशाला
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय
इन्दौर, म.प्र.

एच.आर. पाल
आचार्य, शिक्षा संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

हितेश शर्मा
शोध–अध्येता, शिक्षा संस्थान, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर

आस्मा
एम.एड. (छात्रा) एस.एस.(पी.जी.)
कालेज शाहजहाँपुर (उ.प्र.)

ऊषा कटियार
प्रवक्ता संगीत गायन
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल

विनोद कुमार
ग्राम व डाक सूजरा
जिला बागपत (उ0प्र0)
पिन कोड–250601

विनोद कुमार
रिसर्च स्कॉलर
मेवाड़ विश्वविद्यालय,
गंगरार, चित्तौड़गढ़ (राज.)

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

अध्यक्ष
प्रो. भवानीशंकर गर्ग

उपाध्यक्ष
श्री सुधीर चटर्जी
श्री ए. एच. खान
डा. एल. राजा
डा. एम. एस. राणावत
सुश्री निशात फारूख

महासचिव
श्री के. सी. चौधरी

कोषाध्यक्ष
डा. मदन सिंह

संयुक्त सचिव

सह–सचिव
श्री एस. सी. खण्डेलवाल
डा. पी. ए. रेड्डी
डा. ओ.पी.एम. त्रिपाठी
श्रीमती इन्द्रा पुरोहित

सदस्य
श्री दुर्लभ चेतिया
श्री मृणाल पंत
डा. वी. रेघु
डा. एस. एल. शर्मा
प्रो. के. आर. सुशीले गौडा
श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. सरोज गर्ग
सुश्री उषा राय

सहयोजित सदस्य
श्री एच. सी. पारीख
प्रो. एस. वाई शाह
श्री रामेश्वर नीखरा
डा. डी. उमा देवी
श्री हरीश एस
डा. निर्मला नुवाल